प्रकाशन संख्या 512

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 502

भवन निर्माण विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1984–85, 1994–95, 1998–99, 1999–2000, 2006–07 एवं 2007–08 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक .... को सदन में उपस्थापित।

विषय–सूची

					पृष्ठ
लोक लेखा समिति(पंचदश बिहार विधान–सभा) गठन वर्ष 2012–13	..	..	..		क
लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) का गठन वर्ष 2012–13	..	..	..		ख
सभा सचिवालय के पदाधिकारी / कर्मचारीगण,प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पदाधिकारी एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण	..	..	..		ग
प्राक्कथन	..	..	..		च
4. प्रतिवेदन	..	..	..		

प्रतिवेदन वर्ष	कंडिका				
1984–85 (सिविल)	5.1	..	..	..	1–2
1994–95 (सिविल)	4.1	..	..	..	3–4
1998–99 (सिविल)	4.5	..	..	..	5–7
1999–2000 (सिविल)	4.2	..	..	..	8–10
1999–2000 (सिविल)	4.3	..	..	..	10–11
2006–07 (सिविल)	4.1.6	..	..	..	12–15
2007–08 (सिविल)	4.1.1	..	..	..	16–20

5. परिशिष्ट 21–59

250 एल0ए0

"क"

बिहार विधान–सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2012–13 (पंचदश बिहार विधान–सभा)

सभापति

श्री ललित कुमार यादव — स०वि०स०

सदस्यगण

1. डॉ० अच्युतानन्द — स०वि०स०
2. श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव — स०वि०स०
3. श्री अशोक कुमार — स०वि०स०
4. श्री मंजीत कुमार सिंह — स०वि०स०
5. श्री अभिराम शर्मा — स०वि०स०
6. श्री अरूण शंकर प्रसाद — स०वि०स०
7. श्री विनोद नारायण झा — स०वि०स०
8. श्रीमती उषा सिन्हा — स०वि०स०
9. श्री कृष्णनन्दन यादव — स०वि०स०
10. श्री जावेद इकबाल अंसारी — स०वि०स०
11. श्री राणा गंगेश्वर सिंह — स०वि०स०
12. श्री नीरज कुमार — स०वि०स०
13. श्री मो० हारूण रसीद — स०वि०स०
14. श्री मंगल पाण्डे — स०वि०स०

"ख"

लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) का गठन वर्ष 2012–13

सभापति

श्री ललित कुमार यादव — स०वि०स०

संयोजक

श्री मंजीत कुमार सिंह — स०वि०स०

सदस्यगण

श्री कृष्णनंदन यादव — स०वि०स०

श्री नीरज कुमार — स०वि०स०

बिहार विधान–सभा सचिवालय

श्री लक्ष्मीकांत झा	प्रभारी सचिव
श्री चन्द्रभूषण पाठक	उप–सचिव
श्री रूपनारायण मिश्र	अवर सचिव
श्री भूदेव राय	अवर सचिव
श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री गणेश कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
श्रीमती अनुपमा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री उमा शंकर यादव	वरीय लिपिक
श्री अभय कुमार सक्सेना	कनीय लिपिक
श्री राजीव रंजन ।।	कनीय लिपिक
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	कनीय लिपिक
श्री अरविंद कुमार यादव	कनीय लिपिक

प्रधान महालेखाकार कार्यालय

श्री परवेज आलम	उप–महालेखाकार
श्री इन्द्र कुमार	उप–महालेखाकार
श्री अनिल कुमार वर्मा	वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
श्री अरविंद कुमार	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

श्री अशोक प्रियदर्शी	उप–सचिव

प्राक्कथन

मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भवन निर्माण विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन 1984–85, 1994–95, 1998–99, 1999–2000, 2000–2001, 2002–2003, 2006–07 एवं 2007–2008(सिविल) की कंडिका आपत्ति पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 502वाँ प्रस्तुत करता हूँ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 22 जनवरी, 2013 को लोक लेखा समिति की मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार, वित्त विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों / कर्मचारीगण अपने अथ परिश्रम से समिति को जो सहयोग दिया है, वह अविस्मरणीय है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। समिति के माननीय सदस्यों ने जो अपना बहुमूय सयम देकर प्रतिवेंदन को तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें सहृदय धन्यवाद देता हूँ।

पटना :
दिनांक 22 जनवरी, 2013 (ई0)।

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1984–85 को कंडिका 5.1 पृष्ठ सं0 147–148 द्रष्टव्य।

8.1 भंडारों का अनावश्यक अभिग्रहण

भंडार की अन्धाधुन्ध खरीद को रोकने के लिए सरकार ने प्रमुख अभियंता-सह-सरकार के विशेष सचिव को सीधा मांग अधिकारी घोषित किया (मार्च 1976) तथा उन फार्मों को जिनका आपूर्ति और निपटान महानिदेशक (डी० जी० एस० एण्ड डी०) के साथ दर ठेका हो, को भंडार की खरीद के लिए आदेश देने के लिए प्राधिकृत किया। सरकार के आदेश का उल्लंघन कर अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण अंचल, मुजफ्फरपुर ने सामग्रियों (अधिक घनत्व के पोलिथीन पाईप, जी० आई० पाईप, छत पंखा, लोहा बी० टैप्स) की आपूर्ति के लिए डी० जी० एस० एण्ड डी० के दर ठेका फर्म पर अगस्त 1982 से जनवरी 1983 तक आदेश दिया तथा आठ डिविजनों (मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, छपरा, सीवान और गोपालगंज) ने अगस्त 1982 और जून 1983 के बीच इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए 203.70 लाख रुपये खर्च किया जिनमें 171 लाख रुपये (84 प्रतिशत) मूल्य की सामग्रियां 31 मार्च 1985 तक अपने-अपने डिविजनों में अनुपयोजित रह गयी (विवरण नीचे की तालिका में दर्शाये गए हैं)। किस आधार पर इन भंडारों की आवश्यकता महसूस की गयी थी उसे न तो लेखा परीक्षा को दिया गया था न तो वह अभिलेख में ही उपलब्ध था।

सामग्री	प्राप्तियां		निर्गत		बकाया	
	मात्रा	राशि (लाख रुपयों में)	मात्रा	राशि (लाख रुपयों में)	मात्रा	राशि (लाख रुपयों में)
एच० डी० पी० ई० पाईप (मात्रा मीटर में)	3.09	125.77	0.9	3.76	3.00	122.01
जी० आई० पाईप (मात्रा मीटर में)	5.80	75.57	1.71	28.58	4.10	46.99
छत पंखा (मात्रा संख्या में)	500	2.14	108	0.44	392	1.70
लोहा बी० टैप्स (मात्रा संख्या में)	450	0.22	..	..	450	0.22
जोड़		203.70		32.78		170.92

सम्बन्धित कार्यपालक अभियंताओं ने बताया (अगस्त 1985) कि 122 लाख रुपये मूल्य के एच० डी० पी० ई० पाईप की मात्रा का उपयोग करने की कोई गुंजाईश नहीं है। प्रमुख अभियंता-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने मार्च 1984 के परिपत्र में सभी अधीक्षण अभियंताओं से निवेदन किया कि यदि आवश्यक हो तो आवश्यक मात्रा में जी० आई०/एच० डी० पी० ई० पाईप भुगतान के आधार पर निकटतम जनकार्य प्रमण्डलों जहाँ वे सामग्री उनको अपनी परियोजनाओं में आवश्यकता से अधिक हो, से प्राप्त करें। अब तक इससे कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है (जनवरी 1986)।

बिना किसी लाभदायक उद्देश्य के इन भंडारों का अवधारण करना सरकारी धन (170.92 लाख रुपये) को रोकने के अलावा भंडारण में वृद्धि करने के कारण उनकी गुणवत्ता को नष्ट होने के खतरे से युक्त है।

सरकार को मामले की सूचना नवम्बर 1985 में दी गई थी, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (अगस्त 1986)।

विभागीय अनुपालन	अभ्युक्ति
अद्यतन सूचना हेतु विभागीय पत्र संख्या-5961(भ) दिनांक-19.11.2001, 63(भ) दिनांक-14.12.01, 6717(भ) दिनांक-22.11.06, 7084(भ) दिनांक-26.07.07, पत्रांक-4826 (भ) दिनांक-28.06.10, 8514 दिनांक-08.11.2010 एवं 4806 (भ) दिनांक 13.05.11 द्वारा आरोप संख्या-03/89 के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निगरानी आयुक्त, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया। निगरानी विभाग ने पत्र संख्या 4587 दिनांक 03.08.11 द्वारा सूचित किया गया है कि आरोप पत्र संख्या-03/89 पर संज्ञान लेने के बाद निगरानी न्यायालय उत्तरी बिहार मुजफ्फरपुर में सम्प्रति यह कांड अन्य अभियुक्तियों की उपस्थिति हेतु विचाराधीन है। (प्रति संलग्न) उपलब्ध कराई गई सामग्रियों के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा यह बतलाया गया कि तत्संबंधित सामग्रियाँ (पॉलिथीन पाईप, जी.आई. पाईप, छत पंखा, लोहा बी. टैप्स) प्रमंडल में उपलब्ध है। तत्संबंधित भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, भवन प्रमंडल, हाजीपुर, भवन प्रमंडल, सिवान, भवन प्रमंडल, गोपालगंज, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी, भवन प्रमंडल, मोतिहारी, भवन प्रमंडल, बेतिया द्वारा उपलब्ध सामग्रियों से संबंधित अद्यतन स्थिति से संबंधित पत्र उपलब्ध कराया है। (प्रति संलग्न)	

विभागीय संलग्नक पृष्ठ संख्या 21 से 35 पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

दिनांक-02.11.2012 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि निगरानी न्यायालय का जो भी निर्णय हो विभाग उस पर कार्रवाई करते हुए उसके फलाफल से समिति को अवगत करायें, इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण (सिविल) वर्ष 1994–95 की कंडिका 4.1 पृष्ठ संख्या 123 द्रष्टव्य।

4.1 **वर्क शेड के निर्माण में विलम्ब**

कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल संख्या-2, भवन निर्माण विभाग, पटना ने 23.52 लाख रुपए के लागत पर शेखपुरा (पटना) में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के. भी. आई. सी.) में वर्क शेड के निर्माण कार्य लिए, एक संवेदक को दिसम्बर 1991 तक पूर्ण करने के लिए कार्य सौंपा। एजेन्सी ने इस आधार पर कार्य रोक दिया कि ट्रस के डिजाईन का पुनरीक्षित दर तय नहीं किया गया था (मई 1991) तथा छज्जा एवं खिड़की के डिजाईन उसे प्राप्त नहीं कराए गए थे। कार्य पूर्ण होने के निर्धारित तिथि तक प्रमण्डल द्वारा ट्रस के दर को तय नहीं किया गया था तथा एकरारनामा को खत्म कर दिया गया (अगस्त 1992)। इसके बाद, संवेदक को 10.70 लाख रुपए का अंतिम भुगतान किया गया (जुलाई 1993)।

12.82 लाख रुपए (मूल प्राक्कलन के विरुद्ध) मूल्य के शेष कार्य को एकल निविदा आधार पर अक्टूबर 1992 में प्रचलित दर की अनुसूची पर, 29.06 लाख रुपए के संवेदित मूल्य पर उसी एजेन्सी को आवंटित किया गया। एजेन्सी ने 24.26 लाख रुपए मूल्य के कार्य को जून 1994 तक सम्पादित किया। आंतरिक जलापूर्ति पद्धति अक्टूबर 1995 तक अपूर्ण रहा।

अतः डिजाईन के अन्तर के कारण ट्रस के लिए नया दर तय करने में विफलता एवं समय पर छज्जा और खिड़की के डिजाईन एजेन्सी को आपूर्ति नहीं करने के कारण, कार्य पूरा होने में दो वर्षों से ज्यादा की देरी हुई तथा 11.44 लाख रुपए (24.26 लाख रुपए + 10.70 लाख रुपए- 23.52 लाख रुपए) का अधिक व्यय हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितम्बर 1995); उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 1995)।

विभागीय अनुपालन	अभ्युक्ति
विभागीय पत्रांक. [illegible] (प). दिनांक 03.06.2000 द्वारा इस सिविल कंडिका का उत्तर उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय (लोक लेखा समिति कोषांग) पटना को उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत है:- उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि विषयांकित कार्य के लिए कुल 23,5[illegible] [illegible] प्रमंडल संख्या-2 के एकरारनाम संख्या 22/90-91 से कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 03.09.90 कार्यावधित [illegible] माह, यानि कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 03.09.90 कार्यावधित 15 माह यानि कार्य पूरा करने की तिथि 03.12.1991 के लिए एकरारनामा किया गया । इस एकरारनामो मे साधारण ट्यूबलर ट्रस के लिए प्रति तीन हजार रू. [illegible] दर अनुमोदित था। ट्यूबर ट्रस लिन्टल एक लफ्ट का स्लैब का निरूपण एवं आरेखन में निरूपण अंचल संख्या-2 पटना से उनके पत्रांक 106(अनु.) दिनांक- 26.02.91 द्वारा प्राप्त हुआ। कार्य की प्रगति के दौरान अप्रैल,1991 मे अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा कार्य का निरीक्षण किया गया। चूकि यह वर्क शेड के निर्माण का प्रश्न था। अनुमोदित ट्रस के निर्माण न कराकर नार्थ लाईट 2 ट्यूबलर ट्रस के निर्माण के लिए आदेश उनके द्वारा किया गया। इसके उपरांत संवेदक द्वारा यह आपत्ति उठाई गयी कि एकरारनामें मे अनुमोदित दी के अनुसार ट्रस का निर्माण न कर दूसरे तरह का निर्माण किया जाना है। अत: इसके लिए नये तौर से दर स्वीकृति की जाय तथा इसके लिए उनके द्वारा बाजार दर के आधार विश्लेषित दर भी कार्यपालक अभियंता को दिया गया। विलम्ब से विश्लेषित दर का प्रस्ताव देना तथा विश्लेषित दर के आधार पर दरो की स्वीकृति मे विलम्ब होने तथा पूर्व एकरारनामो के अनुसार कार्य संपादित की तिथि समाप्त होने के आधार पर संवेदक द्वारा पूर्व के एकरारनेामे के अनुसार कार्य करने से इन्कार कर दिया गया तथा बचे हुए कार्यो के लिए प्रमाण विपत्र की स्वीकृति के उपरांत विधिवत निविदा आदि प्राप्त कर कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमडल संख्या-2 पटना के एकरारनाम संख्या 1/93/94 से कुल 29,06,433/-रू. का एकरारनाम किया गया । इस एकरारनामा के अंतर्गत नार्थ लाईट ट्यूबलर ट्रस का दर 18.65 रू. प्रति के.जी. अनुमोदित किया गया। इस तरह बचे हुए कार्यो के लिए पुन: निविदा आदि करने मे दरो मे वृद्धि तथा परिवर्तित नार्थ लाईट ट्यूबलर ट्रस के निर्माण मे अधिक लागत के कारण पूरे संपादित कार्यो मे राशि की वृद्धि हुई जिसमे विभाग के पदाधिकारियो का कोई दोष परिलक्षित नही होता है। अनुरोध है कि विषयांकित कंडिका का विलोपन करने का कष्ट किया जाय।	

समिति की अनुशंसा

दिनांक 02 नवम्बर, 2012 की बैठक में विभागयी जवाब के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण (सिविल) वर्ष 1998–99 की कंडिका 4.5 पृष्ठ संख्या 196–197 द्रष्टव्य।

4.5 फ्लैट के आवासीय खंड के निर्माण में गंभीर अनियमितताएँ

कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता की विभिन्न विफलताओं का परिणाम फ्लैट के आवासीय खंडों के निर्माण की लागत में 53 लाख रुपये की परिहार्य वृद्धि, संवेदक को 14.20 लाख रुपये का अदेय अनुग्रह एवं उन्हें संविदा की शर्त से अलग 38.80 लाख रुपये का भुगतान निकला।

भवन निर्माण एवं आवास विभाग द्वारा पटना उच्च न्यायालय के वर्ग II कर्मियों के लिए अदालतगंज, पटना में 17 खंडों में (6 फ्लैट का प्रत्येक खंड) 102 फ्लैट ('सी' टाइप) के निर्माण की 2.91 करोड़ रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता से नहीं ली गयी (नवंबर 1999)।

कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल सं. 2, पटना ने अक्टूबर 1996 में 2.66 करोड़ रुपये के आकलित लागत पर कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की तथा मुख्य अभियंता (मु.अ.), दक्षिण बिहार शाखा, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पटना ने निम्नतम संवेदक (दयानंद प्रसाद सिन्हा) को 3.21 करोड़ रुपये (आकलित लागत से 21 प्रतिशत अधिक) पर वित्तमंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के बाद कार्य प्रदान किया (नवंबर 1996)। एजेंसी ने कार्य को नवंबर 1998 में पूरा करने के लिए दिसंबर 1996 में 3.21 करोड़ रुपये का अनुबंध (1996–97 का 1 एफ 2) क्रियान्वित किया। मुख्य अभियंता द्वारा एजेंसी को बिना किसी अभिलेखित कारण के जून 1999 तक समय विस्तार दिया गया। 3.74 करोड़ रुपये के किये गये कार्य के कुल मूल्य के विरुद्ध एजेंसी को नवंबर 1999 तक 3.18 करोड़ रुपये भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की छानबीन से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

(i) संविदा की सामान्य शर्त्त की धारा 17 के अनुसार, विभाग द्वारा आपूर्त्ति की गयी सामग्रियों पर एजेंसी को प्रतिशत लाभ की अनुमति नहीं देनी थी। लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए एजेंसी को विभाग द्वारा आपूर्त्ति की गयी सामग्रियों (67.63 लाख रुपये) पर मुख्य अभियंता द्वारा 21 प्रतिशत के अतिरिक्त दर की अनुमति दी गयी एवं भुगतान किया गया (दिसंबर 1998)। इसका परिणाम एजेंसी को 14.20 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान तथा अनधिकृत सहायता निकला।

(ii) एजेंसी ने बिजली एवं सफाई संबंधी कार्य के 42 नये मदों के विरुद्ध 41.89 लाख रुपये के कार्य का क्रियान्वयन किया जो अनुबंध में प्रदान नहीं किया गया था। सी.पी. डब्ल्यू. डी., कलकत्ता की अनुसूचि दर के आधार पर मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार, शाखा), भवन निर्माण एवं आवास विभाग द्वारा इन 42 मदों के दावे की स्वीकृति, मूल्यवृद्धि के कारण 7.53 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय के चलते, उनपर 19.4 प्रतिशत भत्ता के साथ की गयी। संविदा की शर्त्तों से अलग कार्य के इन अतिरिक्त मदों पर एजेंसी को दिसंबर 1998 तक 38.80 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इस भुगतान का कारण वास्तविक मात्रा–विपत्र तैयार करने तथा इसकी अ.अ. द्वारा अनुमोदन

एवं मुख्य अभियंता द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति में विफलता बताया गया। स्पष्टतया, कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार किया गया तथा मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित आकलन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि मात्रा विपत्र अधूरा था।

17 खंडों (102 फ्लैट) में से 12 खंडों (72 फ्लैट) को 2.66 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा किया गया तथा उच्च न्यायालय, पटना के प्राधिकारी को सौंप दिया (सितंबर 1998) गया। बाकी 5 खंडों (30 फ्लैट) का निर्माण 1.08 करोड़ रुपये की लागत पर जून 1999 में पूरा किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार किया गया (अक्टूबर 1997) कार्य (समतलीकरण, प्लास्टर एवं लकड़ी, बिजली तथा सफाई कार्य) को पूरा करने के लिए 3.81 करोड़ रुपये का संशोधित आकलन मुख्य अभियंता द्वारा जून 1999 तक अनुमोदित नहीं था।

कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता के विभिन्न विफलताओं का परिणाम फ्लैट के आवासीय खंडों की 3.21 करोड़ रुपये की मूल आकलित लागत से 53 लाख रुपये की परिहार्य वृद्धि (3.74 करोड़ रुपये), संवेदक को अदेय अनुग्रह (14.20 लाख रुपये) तथा संविदा की शर्तों से अलग एजेंसी को 38.80 लाख रुपये का भुगतान निकला। मामले की जाँच अपेक्षित थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 1999); उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसंबर 1999)।

विभागीय अनुपालन
कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2, भवन निर्माण विभाग, पटना ने पत्र संख्या-151 अनु. दिनांक 14.2.12 द्वारा (प्रति संलग्न) पटना उच्च न्यायालय के वर्ग 2 कर्मियों के लिए अदालतगंज, पटना में 17 खण्डो में 'सी' टाईप फ्लैट निर्माण के संबंध में निम्नांकित तथ्य उल्लेखनीय है :- 1. लेंखा परीक्षा की आपत्ति के अनुपालन के क्रम में संवेदक की जमानत राशि से 14,30,685/- काटकर समायोजित कर लिया गया है। 2. 17 खंडो में प्रति खंड 6 फ्लैटों के निर्माण एवं परिसर विकास तथा समतलीकरण इत्यादि कार्य के दौरान बिजली एवं सफाई सहित कुल 42 नये मदों के लिए संवेदक द्वारा कार्य कराया गया। इन मदों के लिए बिहार अनुसूचित दर एवं सी०पी०डब्लू०डी०, कलकत्ता के दर के आधार पर 41.89 लाख रूपये की स्वीकृति के पश्चात ही इनका भुगतान किया गया है। 3. योजना के विभिन्न अवयवों का समावेश कर इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति 3.85 करोड़ रूपये के लिए सरकार के अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 2014 (भ) दिनांक 28.03.2000 के द्वारा दी गई। योजना पर कुल व्यय 3.74 करोड़ है जो पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है। 17 खण्डों के 102 फ्लैटों का निर्माण पूर्ण कर उच्च न्यायालय, पटना के प्राधिकार को सौप दिया गया है एवं इनका उपयोग किया जा रहा है। 4. विभागीय पत्रांक 7550 (भ) दिनांक 08. 92008

	द्वारा इस कंडिका का उत्तर उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय (लोक लेखा समिति कोषांग), पटना को उपलब्ध कराया जा चुका है।
	5. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कंडिका विलोपित की जा सकती है।

विभागीय संलग्नक पृष्ठ संख्या 36 एवं 37 पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

दिनांक-02.11.2012 की बैठक में विभागीय जवाब के आलोक में निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण (सिविल) वर्ष 1999–2000 की कंडिका 4.2 पृष्ठ संख्या 164–165 द्रष्टव्य।

4.2 एक कनीय अभियंता द्वारा 30.71 लाख रुपये का दुर्विनियोजन

एक सहायक अभियंता द्वारा कनीय अभियंता की पूर्ववर्ती अग्रिमों के समायोजन किए बिना बारंबार अग्रिमों के भुगतान के परिणामस्वरूप 30.71 लाख रुपये का दुर्विनियोजन हुआ।

बिहार लोक कार्य लेखा संहिता यह निर्दिष्ट करती है कि पूर्ववर्ती अग्रिमों के लेखे जमा किए जाने के उपरांत ही अवर पदाधिकारियों को अस्थायी अग्रिमें प्रदान की जानी चाहिए।

पटना भवन प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ (अक्टूबर 1997 तथा अगस्त 1999) कि वर्ष 1996–97 तथा वर्ष 1997–98 के दौरान एक सहायक अभियंता (अरून कुमार सिंह) द्वारा एक कनीय अभियंता (रामानुज शर्मा), बाँकीपुर भवन अनुमंडल को संसद सदस्य (एम पी) योजना, मगध महिला महाविधालय के तहत् कार्यों के कार्यान्वयन तथा समय–समय पर स्थापना व्यय से निपटने हेतु 86.27 लाख रुपये की अग्रिम प्रदान की गयी। ऐसे अग्रिमों को प्रदान करते समय, नियमों के अनुसार पूर्व–प्रदत्त अग्रिमों को समायोजित कर लेना था। अग्रिमों में से 55.56 लाख रुपये समायोजित कर लिए गए तथा शेष 30.71 लाख रुपये अक्टूबर 2000 तक कनीय अभियंता के नाम के विरूद्ध बकाया पड़े थे क्योंकि उसने उसका लेखा प्रस्तुत नहीं किया था।

सहायक अभियंता ने कार्यपालक अभियंता को सूचित किया (जून 1999) कि संबद्ध कनीय अभियंता ने 30.71 लाख रुपये के अग्रिमों के बकाया होने से इंकार किया है। तत्पश्चात, सहायक अभियंता ने कार्यपालक अभियंता से कनीय अभियंता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की इज़ाजत माँगी। बदले में कार्यपालक अभियंता ने मामला अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण अंचल, पटना को कनीय अभियंता के विरूद्ध जाँच करने हेतु विशेष जाँच दल के गठन करने व प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संदर्भित (जुलाई 1999) कर दिया। हालाँकि जनवरी 2000 तक न तो किसी जाँच दल का गठन किया गया और न ही कनीय अभियंता के विरूद्ध प्राथमिकी ही दर्ज की गयी। इसके अलावा, कनीय अभियंता को भुगतान किए गए अग्रिमों की हस्त–रसीदें भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी जो कथित रूप से चुरा ली गयी थी। इसे सरकारी धन (30.71 लाख रुपये) का गबन मानते हुए लेखा–परीक्षा द्वारा मामला सचिव, बिहार सरकार, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पटना को संदर्भित (अक्टूबर 1999) किया गया (फरवरी 2000 में स्मारों द्वारा अनुगमनीत) जिसकी प्रतियाँ संबंधित अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता को उत्तरदायित्व निर्धारण की दृष्टि से मामले की जाँच एवं जाँच परिणाम् से लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतु दी गयी।

सरकार के सचिव अथवा अभियंता प्रमुख ने फरवरी 2000 तक इन संदर्भों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कार्यपालक अभियंता ने बताया (जनवरी 2000) कि मामला अधीक्षण अभियंता स्तर पर जाँचाधीन है।

इसप्रकार, पूर्ववर्ती एवं लंबित अग्रिमों को नजरअंदाज करते हुए सहायक अभियंता द्वारा निर्बाध एवं बारंबार अग्रिमों के भुगतान तथा अग्रिम भुगतानों के हस्त--रसीदों के सुरक्षित अभिरक्षण को सुनिश्चित करने की विफलता ने 30.71 लाख रुपये के दुर्विनियोजन को सुगम किया।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (मई 2000); उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2001)।

विभागीय अनुपालन	अभ्युक्ति
कार्यपालक अभियंता पटना भवन प्रमंडल, पटना न पत्र संख्या-1741 अनु. दिनांक-9.4.11 द्वारा स्पष्ट किये गये हैं कि वर्ष 1999-2000 कंडिका-4.2 में वर्णित श्री रामानुज शर्मा भूतपूर्व कनीय अभियंता द्वारा लिया गया बाँकीपुर भवन अनुमंडल संसद सदस्य (एम० पी०) योजना के तहत 30.71 लाख रूपये अस्थाई अग्रिम राशि का दुर्विनियोजन के संदर्भ में है। इस संदर्भ में कहना है कि श्री शर्मा द्वारा लिया गया 30. 71 लाख अस्थाई अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक-भवन निग-1-233/99-2817 (भ) दिनांक-4.6.2001 द्वारा महालेखाकार अंकेक्षण-11, बिहार राँची को सूचित किया गया है, कि श्री शर्मा लिए गए अग्रिम के विरूद्ध असमायोजन राशि 30.71 लाख रूपये समायोजन कर लिया गया है। दिनांक-17.09.12 की सम्पन्न बैठक में अग्रिम की राशि किस रूप में समायोजित की गई है, एतद् संबंधी साक्ष्य की मांग की गई थी। उक्त के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना ने पत्रांक 4389 दिनांक 17.09.12 द्वारा सूचित किया है कि श्री रामानुज शर्मा से ₹ 30.71 लाख का समायोजन मासिक लेखा के माध्यम से कर ली गई है। (कैशबुक की छायाप्रति संलग्न)	

विभागीय संलग्नक पृष्ठ संख्या 38 से 43 पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 02 नवम्बर, 2012 की बैठक में विभागीय जवाब के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण (सिविल) वर्ष 1999–2000 की कंडिका 4.3 पृष्ठ संख्या 165–167 द्रष्टव्य।

4.3 विभागीय चूकों के कारण 1.21 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय

आकलनों के प्रशासनिक स्वीकृति में विलंब, लागत में वृद्धि एवं निधियों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप अपूर्ण कार्यों पर 1.21 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति के आधुनिकीकरण की योजना के तहत् तथा शिल्पकार एवं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार (भा.स.) ने 1.71 करोड़ रुपये की आकलित लागत पर मार्च 1996 तक पूर्ण हो जाने हेतु बिहार के विभिन्न औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 21 भवनों एवं कार्यशाला शेडों के निर्माण की स्वीकृति (1990–91) दिया। परियोजना की लागत को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर में वहन किया जाना था। भा.स. ने वर्ष 1991 तथा 1997 के मध्य 85.54 लाख रुपये की निधि प्रदान की जबकि राज्य सरकार ने केवल 43.81 लाख रुपये की निधि प्रदान की। 1.29 करोड़ रुपये की उपलब्ध राशि के विरूद्ध 1.21 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका था (वर्ष 1991–97)।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि सरकार द्वारा कार्य–योजना वर्ष 1993–94 में ही स्वीकृत की जा चुकी थी परंतु सरकार द्वारा उसकी प्रशासनिक मंजूरी वर्ष 1990–91 के दरों की अनुसूची पर आधारित 1.71 करोड़ रुपये के आकलित लागत पर वर्ष 1995–96 में दी गयी। प्रशासनिक मंजूरी की प्रदत्तता में 3 वर्षों के विलंब के परिणामस्वरूप श्रम एवं सामग्रियों की कीमतों में वृहत् वृद्धि तथा आँकलनों में 2.85 करोड़ रुपये का परिणामी संशोधन हुआ। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक मंजूरी प्रदान किए जाने में विलंब के कारण भा.स. ने बढ़ी हुयी कीमतों का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करने में असमर्थता जाहिर की। इसप्रकार, प्रशासनिक विलंब एवं चूकों ने 1.14 करोड़ रुपये के अतिरिक्त दायित्व का सृजन किया। निधियों की अपर्याप्तता के कारण 21 भवन एवं कार्यशाला शेडों में से अक्टूबर 1999 तक मात्र 17 भवन ही उपयोग में लाए जा सके। कोई भी भवन पूर्ण नहीं हुआ था (अक्टूबर 1999)।

इसप्रकार, जो कार्य मार्च 1996 तक पूरा कर लिया जाना था वह अक्टूबर 1999 तक आकलनों को प्रशासनिक मंजूरी देने में विलंब, कीमतों में वृद्धि एवं निधियों की अनुपलब्धता के कारण अक्टूबर 1999 तक अपूर्ण रहा तथा अधूरे निर्माणों पर 1.21

करोड़ रुपये का व्यय निष्फल साबित हुआ। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति के आधुनिकीकरण एवं पुनर्संरचना तथा शिल्पकार एवं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण देने का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो सका।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (मई 2000), उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2001)।

विभागीय अनुपालन	अभ्युक्ति
मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक 875 दिनांक 07.05.2012 द्वारा 21 प्रमंडलों का सूची उपलब्ध कराया गया है। जिसके अवलोकन से विदित होगा कि उनके द्वारा व्यय की गई राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति स्पष्ट की गई है। (प्रति संलग्न)	

विभागीय संलग्नक पृष्ठ संख्या 44 से 47 पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

दिनांक-02.11.2012 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि अगर इसमें कोई पदाधिकारी दोषी हैं तो विभाग उनपर कार्रवाई करें के साथ निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण (सिविल) वर्ष 2006–2007 की कंडिका 4.1.6 पृष्ठ संख्या 125–126 द्रष्टव्य।

4.1.6 कपटपूर्ण भुगतान

मजदूरी के मद में 14.44 लाख रुपये का कपटपूर्ण भुगतान एवं गिट्टी के कम खपत के कारण तीन करोड़ रुपये का स्तरहीन कार्य का निष्पादन हुआ।

किशनगंज हवाईअड्डा के पक्का विमान पट्टी के निर्माण के लिए नागरिक उड्डयन विभाग तीन करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 2001) और भवन निर्माण विभाग 3.40 करोड़ रुपये का तकनीकि स्वीकृति (फरवरी 2004) प्रदान किया। इस कार्य में 3300/100 फीट विमानपट्टी, विमान को दुर्घटना से बचाने के लिए विमान पट्टी के अंतिम छोर के दोनों किनारों पर अतिरिक्त पट्टी, टैक्सी पड़ाव और एप्रन का निर्माण शामिल थे। यह कार्य मिट्टी कार्य, विमान पट्टी का निर्माण, बाहरी दिवार का घेरा में विभाजित था। सर्तकता विभाग के अनुदेशों जिसमें विशेष परिस्थिति के अलावे विभागीय कार्य को करना निषेध है का उल्लंघन करते हुए एवं यह तर्क देते हुए विभाग द्वारा कार्यों का निष्पादन कर लिया गया कि निधि का आवंटन व्यपगत हो जायेगा।

भवन निर्माण विभाग, किशनगंज के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2006) के दौरान निम्नलिखित बाते उद्‌धटित हुए :

- माप पुस्तिका में दिखाये गये कार्य के निष्पादन के लिए एस एम जी–**III** (6177.02 घन मीटर) और गिट्टी (1469.26 घन मीटर) की आवश्यकता थी। आवश्यकता के विरूद्ध केवल 2349.20 घन मीटर एस एम जी–**III** और 954.29 घन मीटर गिट्टी प्राप्त किये गये जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किये गये। हालांकि, एस एम जी–**III** एवं गिट्टी के आवश्यक मात्रा के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया, जिससे मजदूरी के मद में 14.44 लाख रुपये का कपटपूर्ण भुगतान हुआ, जो तालिका में नीचे दिखाया गया है :

क्रम सं.	कार्य का मद	माप पुस्तिका के अनुसार कार्य के निष्पादन में गिट्टी और एसएमजी -III की आवश्यकता		एस एम जी–III / गिट्टी की वास्तविक प्राप्ति एवं एसएमजी–III / गिट्टी से संभावित कार्य प्राप्त किए गए		मजदूरी के मद में किये गये भुगतान एवं किये गये अधिक कार्य का विवरण		
		माप बही के अनुसार मात्रा	आवश्यक एसएमजी III[15] / गिट्टी	एसएमजी - III / गिट्टी का वास्तविक प्राप्ति	प्राप्त किए गए एसएमजी III / गिट्टी से संभावित कार्य	दर्शाए गए कार्यान्वित कार्यों की अधिक मात्रा	आकलन के अनुसार मजदूरी (रुपये)	मजदूरी (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7 (3-6)	8	9 (7 x 8)
1	बिल्ट एप स्प्रे ग्राउटिंग	30669.14 वर्ग मीटर	एसएमजी–III 3066.91 घन मीटर गिट्टी 365.02 घन मीटर	एसएमजीIII 2349.20 घन मीटर गिट्टी 295.71 घन मीटर	23492.03 वर्ग मीटर	7177.11 वर्ग मीटर	57.95 प्रति वर्ग मीटर	4.16
2	वाटर बाउंड मैकाडम	2338.43 घर्न मीटर	एसएमजी–III 3110.11 घन मीटर	शून्य	शून्य	2338.43 घन मीटर	170.90 प्रति वर्ग मीटर	4.00
3	20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट	30669.14 वर्ग मीटर	गिट्टी 828.22 घन मीटर	गिट्टी 542.56 घन मीटर	20094.98 वर्ग मीटर	10574.16 वर्ग मीटर	32.25 प्रति वर्ग मीटर	3.41
4	शील कोट	30669.14 वर्ग मीटर	गिट्टी 276.02 घन मीटर	गिट्टी 116.02 घन मीटर	12891.22 वर्ग मीटर	17777.92 वर्ग मीटर	16.15 प्रति वर्ग मीटर	2.87
	कुल योग							14.44

दोनों कार्यों के लिए आकलित 53046.18 घन मीटर मात्रा के विरूद्ध मिट्टी भराव और रौलिंग / संपीडन कार्य की मात्रा क्रमशः 38029.57 घन मीटर एवं 33950.83 घन मीटर थी।

विमानपट्टी के अंतिम छोर पर अतिरिक्त पट्टी का निर्माण निष्पादित नहीं किये गये जो प्राक्कलन में शामिल था और जो उड्डयन योजना अंचल, सी पी डब्लू डी, दिल्ली के निर्देशिक के अनुसार विमान को उड़ने, दुर्घटना से बचाने के लिए भी आवश्यक थी। टैक्सी पड़ाव, एप्रन का निर्माण भी नहीं किये गये।

---

[15] *(1) 10 वर्ग मीटर बी यू एस जी कार्य के लिए एक घन मीटर एम एम जी–III की आवश्यकता थी।*

(2) 1 घन मीटर डब्लू बी एम कार्य के लिए 1.33 घन मीटर एम एम जी–III की आवश्यकता थी।

(3) 20 मिलीमीटर मिश्रीत 10 वर्ग मीटर कारपेट कार्य के लिए 0.27 घन मीटर गिट्टी की आवश्यकता थी।

(4) 10 घन मीटर शील कोट कार्य के लिए 0.09 घन मीटर गिट्टी की आवश्यकता थी।

विभागीय अनुपालन	अभ्युक्ति
कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल किशनगंज ने पत्रांक-260 अनु. दिनांक-10.03.11 द्वारा उठाए गए बिन्दु के संबंध में निम्न स्थिति स्पष्ट करने से संबंधित सूचना उपलब्ध कराया है :- 1. मापी पुस्त के अनुसार उपयोग में लाए गए स्टोन मेटल ग्रेड-III की कुल मात्रा 2349.20 M^3 नही बल्कि 6269.03 M^3 है। (मापी पुस्त संख्या-168 एवं 227) तथा चिप्स की कुल मात्रा 954.?० M^3 नही बल्कि 2124.79 M^3 है। (मापी पुस्त संख्या-168, 227, 228, 230) 2. प्राक्कलन के अनुसार 53046.18 M^3 मिट्टी का कार्य कराना था लेकिन आवश्यकतानुसार 38112.76 M^3 मिट्टी का कार्य कराया गया है एवं इसी मात्रा के लिए भुगतान भी किया गया है। (मापी पुस्त संख्या-103,110,111,140) 3. इस कार्य हेतु दो बार निविदा आमंत्रित की गई है (नवम्बर 2001 में एवं दूसरी बार नवम्बर, 2002 में) प्रथम बार में किसी संवेदक के द्वारा भाग नही लिया गया जबकि दूसरी बार एक संवेदक के द्वारा भाग लिया गया। एकल निविदा होने के कारण स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा गया। अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा उनके ज्ञापांक-236 (म०) दिनांक-16.01.2003 के द्वारा विभागीय रूप से कार्य कराने का आदेश दिया गया। (विभागीय आदेश की छाया प्रति संलग्न) 4. कार्य प्राक्कलन के अनुरूप कराया गया है। कार्य के गुणवत्ता की जांच सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा करा लिया गया है। (जांचफल की छाया प्रति संलग्न) 5. कार्य विभागीय रूप से कराया गया है। इसमें संवेदक लाभ की कटौती कर दी गई है। इस लिए आयकर नही काटा गया है। 6. सामग्री में मजदूरी का Finished Rate पर भुगतान हुआ है इसलिए हस्त रसीद पर भुगतान किया गया है। भविष्य में ऐसा नही हो इस पर ध्यान रखा जायेगा।	समिति की अनुशंसा आलोक में उपलब्ध कराई सूचना के संबंध में समिति तत्संबंधित कंडिका के संबंध हैण्ड रिसीट पर सात व्यक्ति को ₹ 69,00,000/- रूपये दिये गये भुगतान के लिए सं[illegible] कार्यपालक अभियंता, अ[illegible] अभियंता को चिन्हित करने घटना से संबंधित मा[illegible] ऑफिसर्स से प्राप्त रिसिट प्रति उपलब्ध कराने का [illegible] दिया गया था इसके आलोक कार्यपालक अभियंता, [illegible] प्रमंडल, किशनगंज के संख्या-667 दिनांक-02.06.12 मुख्य अभियंता, उत्तर के संख्या-1048 दिनांक-07.[illegible] द्वारा हस्त रिसिट पर भु[illegible] करने वाले पदाधिकारी चिन्हित की गई सूची को विभागीय पत्र संख्या-4671 दिनांक-13.06.12 द्वारा विधान सभा सचि[illegible] महालेखाकार का कार्यालय वित्त विभाग को प्रेषित कर दी गई है। अतएव अनुरोध है कि प्रस्तुत कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

7\. पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं रहने के कारण ट्रैक्सी पड़ाव स्प्रोन एवं इण्ड स्ट्रीप का निर्माण नहीं कराया जा सका।

-अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उठाये गये कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

विभागीय संलग्नक पृष्ठ संख्या 48 से 51 पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

दिनांक-17.9.12 की बैठक में समिति द्वारा विभाग के जाँच एवं कार्रवाई से समिति संतुष्ट नहीं है इसलिए समिति के निदेशालोक में 6 माह के अन्दर निगरानी विभाग अपना जाँच प्रतिवेदन कार्रवाई करते हुए समिति के समक्ष प्रस्तुत करें के साथ इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण (सिविल) वर्ष 2007–2008 की कंडिका 4.1.1 पृष्ठ संख्या 97–98 द्रष्टव्य।

4.1.1 ब्याज भुगतान के कारण हानि

प्राक्कलन को अंतिम रूप देने में विलम्ब, भुगतान नहीं करने एवं न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण 32.92 लाख रुपये के ब्याज के फलस्वरूप भुगतान की हानि।

प्रधानमंत्री के दौरे (17.10.1984) के आलोक में पूर्णियां जिला प्रशासन ने भवन निर्माण प्रमंडल, पूर्णियां (प्रमंडल) को हेलीपैड के पहुँच पथ की मरम्मत, हेली पैड का विस्तार, मंच का निर्माण तथा रंगभूमि मैदान की घेराबंदी करने का निर्देश दिया (11/12.10.1984)। प्रमंडल ने प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु 9.71 लाख रुपये का प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ को प्रस्तुत किया (13.10.1984) और साथ ही साथ एक संवेदक[1] के द्वारा कार्यों का निष्पादन कराया। हालांकि प्रशासनिक अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति तथा निधि की विमुक्ति के अभाव में संवेदक को भुगतान नहीं किया जा सका।

प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2007) से प्रकट हुआ कि कार्य के निष्पादन के एक साल बाद, मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को प्रमंडल को भी प्रति देते हुए वास्तविक कार्य के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करने का निदेश जारी किया (पत्रांक 1272 दिनांक 25.11.1985)। तदनुसार, प्रमंडल ने दिनांक 5.12.1985 को अधीक्षण अभियंता के समक्ष 9.71 लाख रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया और अधीक्षण अभियेता ने 9.15 लाख रुपये के प्राक्कलन को अनुमोदित करते हुए प्रशासनिक अनुमोदन एवं निधि के आवंटन हेतु मुख्य अभियंता के यहाँ अग्रेषित कर दिया (7.12.1985)। लेकिन 32 महीनों तक (अक्टुबर 1984 से मई 1987 तक) न तो प्रशासनिक अनुमोदन मिला और न ही निधि आवंटित की गई। निष्क्रियता के कारणों को न तो सूचित किया गया और न उन्हीं अभिलेखों में दर्शाया गया। फलतः, संवेदक ने न्यायालय की शरण ली और उसके दावे के भुगतान के लिए विभाग को नोटिस जारी की गई (मई 1987)। अदालती नोटिस की प्राप्ति पर अधीक्षण अभियंता ने परिमाण विपत्र (7.77 लाख रुपये) की दर को अनुमोदित कर (सितम्बर 1987) मामले को अनुमोदन हेतु मुख्य अभियंता के पास अग्रेषित कर दिया, किन्तु मुख्य अभियंता ने इस टिप्पणी के साथ प्राक्कलण को अधीक्षण अभियंता के यहाँ वापस कर दिया (मई 1989) कि वे स्वयं निविदा के निष्पादन में सक्षम है। इसी बीच संवेदक ने प्रमंडल को दो और अदालती नोटिस भिजवायी (अगस्त 1988 और सितम्बर 1988) और अंततः विभाग के विरूद्ध पूर्णियां के जिला न्यायालय में 16.45 लाख रुपये का धन मुकदमा दायर कर दिया (दिसम्बर 1988)। धन मुकदमा दायर होने के पश्चात भवन निर्माण विभाग ने 9.71 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि के विरूद्ध मात्र 5.46 लाख रुपये का प्रशासनिक

---

[1] *मेसर्स सतनाम दास।*

अनुमोदन दिया (मार्च 1990) तथा निधि विमूक्त किया (मार्च 1990)। लेकिन, प्रमंडल ने संवेदक को भुगतान नहीं किया और 5.34 लाख रुपये[2] का विचलन अन्य भुगतानों की ओर कर दिया । परिणामतः पूर्णियां के जिला न्यायालय ने संवेदक के पक्ष में 10 प्रतिशत की दर से ब्याज एवं खर्च के साथ 15.97 लाख रुपये की डिग्री कर दी (जनवरी 1991)। विभाग ने न तो न्यायालय के आदेश का पालन किया और न ही उच्च न्यायालय में समय पर अपील किया बल्कि डिग्री आदेश की तिथि से 20 महीने पश्चात (अक्टूबर 1992) 3.29 लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया। अदालत में न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने के कारण प्रमंडल के विरूद्ध कुर्की जब्ती का वारंट निर्गत किया (फरवरी 2007) और अंततः प्रमंडल ने 32.92 लाख[3] रुपये के ब्याज के साथ 40.46 लाख रुपये का भुगतान किया (जुलाई 2007)।

प्रमंडल ने कहा (नवम्बर 2007) कि आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं किया जा सका तथा ब्याज का भुगतान न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया जबकि भवन निर्माण विभाग के सचिव ने जवाब दिया (सितम्बर 2008) कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता क्षति के लिए पूर्णतः जिम्मेवार थे क्योंकि उन्होंने ठेकेदार को 5.46 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राक्कलण की स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के फलस्वरूप दिनांक 31.01.1991 के न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विलम्ब किये जाने के कारण ब्याज का भुगतान किया गया। निधि के आवंटन के सम्बन्ध में प्राक्कलन को स्वीकृत एवं निधि को विमुक्त करने में विभाग विफल रहा जिसके फलस्वरूप निधि की विमुक्ति में पाँच साल एवं पाँच महीने का विलम्ब हुआ।

इस प्रकार, मुख्य अभियंता आदि के स्तर पर विभाग द्वारा विलंबित कार्रवाई के फलस्वरूप प्रमंडल द्वारा 5.46 लाख रुपये की स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं करने तथा न्यायालय के आदेश के अनुपालन नहीं करने के कारण 32.92 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा तथा सरकार को हानि हुई।

विभागीय अनुपालन

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियां ने उठाए गए बिन्दु के संबंध में निम्न सूचना उपलब्ध कराई गई है :- 4.1.1 ब्याज भुगतान के कारण हानि दिनांक-17.10.84 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गाँधी के पूर्णियाँ आगमन पर जिला प्रशासन ने भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ को हैलीपेड के पहुँच पथ की मरम्मति, हैलीपैड का विस्तार, मंच का निर्माण एवं रंगभूमि मैदान को घेराबन्दी करने का निर्देश दिनांक-11.10.81/12.10.84 को दिया। प्रमंडल के द्वारा जिला पदाधिकारी पूर्णियां के पत्रांक-405 दिनांक-14.10.84 के आदेश के आलोक में दिनांक-16.10.84 को अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की। कार्य की महत्ता को देखते हुए दिनांक-17.10.84 के पूर्व कार्य समाप्त करने का निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता के द्वारा 9.7 लाख रूपये का प्राक्कलन दिनांक-13.10.84 को अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ को तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित किया। मुख्य अभियंता ने 9.151 लाख का प्राक्कलन मुख्य अभियंता को प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि प्राप्ति हेतु समर्पित किया। मुख्य अभियंता के पत्रांक-1272 दिनांक-25.11.85 के द्वारा वास्तविक कार्य के अनुसार पुनरिक्षीत प्राक्कलन समर्पित करने का निर्देश अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को समर्पित किया। जिसे अधीक्षण अभियंता ने अनुमोदित करते हुए मुख्य अभियंता को दिनांक-07.12.85 को प्रशासनिक स्वीकृति	लंबित कंडिका 4.1.1 पर दिनांक-14.06.12 को लोक लेखा समिति, बिहार विधान सभा में उपलब्ध कराई गई कार्यान्वियन प्रतिवेदन पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत दिए गए निदेश के आलोक मे प्रशासनिक स्वीकृति एवं न्याय निर्णय के पश्चात राशि उपलब्ध कराने के लिए हुई विलंब के लिए मुख अभियंता, उत्तर के पत्र संख्या-1256 दिनांक-10.07.12 द्वारा निम्न सेवा निवृत मुख्य अभियंता को दोषी माना गया है :- 1. श्री सुब्बा राम, सेवा निवृत्त एवं मृत्त 2. श्री बी. एन. बैकर, सेवानिवृत एवं मृत 3. श्री भूवनेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत एवं मृत 4. श्री जुगेश्वर सिन्हा, सेवानिवृत एवं मृत 5. श्री रामापति वर्मा, सेवा निवृत 6. श्री पी० के० चटर्जी, सेवा निवृत तथा राशि विचलन के लिए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्व० बैठा एवं तत्कालीन लेखा अधिकारी श्री नारायण लाल दास को दोषी ठहराया गया है। इसकी सूचना विभागीय पत्र संख्या-5905 (भ) दिनांक-26.07.12 को प्रेषित एवं पत्र

हेतु एवं निधि प्राप्ति हेतु समर्पित किया। संबंधित संवेदक मेसर्स सतराम द्वारा भुगतान में विलम्ब के कारण दो 80 CPC नोटिस अगस्त 88 एवं सितम्बर 88 में भेजा। बाद में उन्होंने दिसम्बर 88 में जिला न्यायालय पूर्णियां में धन मुकदमा दायर कर दिया। संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-312 दिनांक-24.03.90 से उक्त कार्य हेतु निम्न रूप से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। क. घेराबंदी मो॰ 493775.00 ख. हैलीपैड मो॰ 31845.00 ग. सभा मंच मरम्मति मो॰ 6500.00 घ. हवाई अड्डा घेराबंदी मो॰ 14130.00 --------------------------- कुल मो॰ 546258.00 अर्थात मो॰ 546260.00 उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध पत्रांक-1066 दिनांक-28.03.90 के द्वारा 546260.00 रूपये आवंटन प्राप्त हुआ। माननीय सब जज पूर्णियाँ दिनांक-15.01.91 को धन मुकदमा की डिक्री की राशि 1597240.073 भुगतान करने का निर्देश दिया। जिसके आलोक में 01.10.92 को भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ न्यायालय में चेक के माध्यम से 3.29 लाख रूपये का भुगतान किया गया। शेष राशि तत्कालीन अभियंता द्वारा निम्न कार्यो में भुगतान कर दिया गया। 1. माननीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के दिनांक-05.04.89 को पूर्णियाँ आगमन के अवसर मो॰ 150000.00 पर घेराबंदी आदि कार्य के लिए जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ से लिए गये अग्रिम मो॰ 497000.00 में शेष राशि की वापसी। 2. सामग्री की खरीद के लिए जमा राशि मारकेटिंग बोर्ड पूर्णियाँ। मो॰ 383636.00	संख्या-5922 (भ) दिनांक-27.07.12 द्वारा लेख अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

3. पूर्णियां हवाई मैदान में दिनांक 12.10.84 मो० 12624.00 को माननीय प्रधानमंत्री के पूर्णियां आगमन के अवसर किए गए घेराबंदी कार्य जिसका प्रावधान स्वीकृत प्राक्कलन में है जिसका श्री गणेश प्रसाद सिंह संवेदक को किया गया।

सिर्फ उपरोक्त क्रमांक 3 का भुगतान 12624/- रूपये उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में सम्मिलित था। शेष उस प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता द्वारा दूसरे को भुगतान किया गया। पुनः माननीय सब जज पूर्णियाँ के द्वारा 4046021.00 रूपये का भुगतान हेतु नोटिस भेजा गया जिसका भुगतान इस विभाग द्वारा किया गया।

उपरोक्त टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्व० महादेव बैठा पूर्ण रूपेण दोषी है यदि वे राशि का विचलन नहीं करते तो इतनी बड़ी सूद की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता।

विभागीय संलग्नक पृष्ठ संख्या 52 से 57 पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

दिनांक-17.09.2012 की बैठक में समिति द्वारा तीन माह के अन्दर विभाग अपने द्वारा की गयी कार्रवाई पूर्ण कर समिति को प्रतिवेदित करें। वित्त विभाग और पी०ए०जी० की सहमति और विभागीय जवाब के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

पटना:
दिनांक 22 जनवरी, 2013 (ई0)।

ललित कुमार,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना।

पत्रांक–नि0 वि0–240/86 (भवन) 458

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

के0 के0 सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 3/8/ ।

विषय : स्व0 कुँवर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ... न अंचल, मुजफ्फरपुर विरूद्ध समर्पित आरोप सं0–03/89 की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके विभागीय पत्रांक–8514 (भ) दिनांक 08.11.2010 एवं पत्रांक–4806 दिनांक 13.05.2011 के प्रसंग में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–2822 दिनांक 22.06.2011 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि आरोप ... संख्या 03/89 पर संज्ञान लेने के बाद निगरानी न्यायालय ... बिहार, मुजफ्फरपुर ... सम्प्रति यह कांड अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु विचाराधीन है।

अनु0–यथोपरि।

भ0/लेखा- लो० लेo -01- 0...

विश्वासभाजन,

3/8/11

सरकार के उप सचिव।

कार्यपालक अभियंता [illegible] का कार्यालय
भवन निर्माण [illegible] प्रमंडल, [illegible]गंज.

पत्रांक : 06 / दिनांक 18/8/11

प्रेषक : कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण प्रमंडल,
[illegible]गंज.

सेवा में : मुख्य अभियंता,
भवन निर्माण विभाग
उत्तर बिहार उपभाग
बिहार, पटना.

विषय : रोड सेफ्टी समिति [illegible] किशनगंज के निर्माण [illegible] पोलीथिन पाईप [illegible] उपलब्ध अभिलेख [illegible] उपलब्ध [illegible] जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध [illegible] संबंध में।

प्रसंग : दिनांक 18-8-2011 को [illegible] मुख्य अभियंता [illegible] (न) मुख्यालय, बिहार, पटना के [illegible] निदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय [illegible] में [illegible] 82 से 82-83 [illegible] m/s [illegible] contract [illegible]
13) works Pvt. Ltd. [illegible] द्वारा 110 mm [illegible] कुल 5000 m. पोलीथिन [illegible] के संबंधित अभिलेख [illegible] है।

इस संबंध में [illegible] संबंधित A/C [illegible] कहना है कि [illegible] तीन कंसारी, भवन [illegible] पाईप 110 mm कुल 4475 m. [illegible] उपलब्ध है। [illegible] दीवाल [illegible] [illegible] जा रहा है।

विश्वासभाजन

[illegible] 18/8/2011

कार्यपालक अभियंता
भवन निर्माण प्रमंडल,
[illegible]गंज।
18/8/11

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भ० नि० वि०, भवन प्रमंडल, मोतिहारी

पत्रांक 1075 अनु० दिनांक 18.8.2011

सेवा में - कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, हाजीपुर

प्रतिलिपि, मुख्य अभियंता
भवन निर्माण विभाग
उत्तर उपभाग [illegible], पटना

विषय :- लोक लेखा समिति 84-85 में भवन प्रमंडल, [illegible] के विरुद्ध [illegible] संबंधित [illegible] अधिकारियों पारूप की आपत्ति के आधार पर आरोप प्रतिवेदन [illegible] करने के संबंध में।

प्रसंग - दिनांक 18.8.11 को [illegible] अभियंता [illegible] के कार्यालय से दूरभाष पर [illegible] निदेश।

महाशय,
[illegible] के आलोक में अभिलेखों के आधार पर [illegible] [illegible] की [illegible] की जा रही है।

अनु० - यथोपरि

विश्वासभाजन
[illegible] 18/8/11
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, मोतिहारी

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	40173 [illegible]	[illegible]	[illegible]	
2.	20 " " "	41340 [illegible]	5875.07 [illegible]	35761.93 [illegible]	
3.	22 " " "	12959 [illegible]	6273.82 [illegible]	6575.15 [illegible]	
4.	32 " " "	17307 [illegible]	12117.85 [illegible]	5187.15 [illegible]	
5.	80 " " "	8537 [illegible]	8460.35 [illegible]	66.65 [illegible]	
6	50 [illegible]	18,370 [illegible]	15 [illegible]	18,355 [illegible]	18,167 [illegible]
6	990 " "	6550 [illegible]	15 [illegible]	6535 [illegible]	6530 [illegible]

कार्यापालक अभियंता
भवन प्रमंडल, बेतिया।

पत्रांक 1655 अनुलग्नक।

प्रेषक,

कार्यापालक अभियंता
भवन निर्माण, बेतिया।

सेवा में,

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक 18 अगस्त, 2011।

विषय–लोक लेखा समिति की उप–समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 242, दिनांक 27 फरवरी, 1993 को मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग उत्तर उपभाग को समर्पित किये गये। प्रतिवेदन के आधार पर अद्यतन प्रतिवेदन (संलग्न) तैयार कर समर्पित किया जाता है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, बेतिया।

पंचम

प्रोजेक्ट का नाम - ... प्रोजेक्ट, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

... (परिपत्र) के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 5-1 से सम्बन्धित विवरणी।

क्रम सं0	सामग्री का नाम	पृष्ठ का पार्ट 62/83	कुल प्राप्ति	31-3-92 तक कुल निर्गत एवं स्थानान्तरित	1-4-92 को कुल अवशेष सामग्री	1-4-92 से 31-12-92 तक कुल निर्गत एवं स्थानान्तरित	1-1-93 को अवशेष सामग्री	दूसरे प्रोजेक्ट एवं विभाग को निर्गत	कार्य प्रोजेक्ट में खपत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15 एम0एम0 ... पाइप	–	38,602 मीटर	2496.23 मीटर	36,3?5.77 मीटर	237.65 मीटर	36068.12 मीटर	1?9 .5 कि0ग्रा0	2544.23 मीटर	
2	40 एम0एम0 ... पाइप	–	7,510 मीटर	7,510 मीटर	शून्य	शून्य	शून्य	5548 मी0	1962 मी0	
3	90 एम0एम0 ... पी0वी0सी0 पाइप	–	36,560 मी0	शून्य	36560 मीटर	शून्य	36560 मी0	शून्य	शून्य	
4	110 एम0एम0 ... पाइप	–	30,405 मी0	शून्य	30405 मीटर	शून्य	30405 मी0	शून्य	शून्य	
5	... ड्रिलिंग ...	–	450 अदद	383 अदद	67 अदद	शून्य	67 अदद	शून्य	383 अदद	

कार्यपालक अभियंता,
... प्रमंडल, बेतिया।
18/8/11

लोक लेखा समिति बिहार पटना के [illegible] आपूर्ति [illegible] का विवरण प्रतिवेदन

क्रम	आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता	आपूर्ति की गई सामग्री का नाम	आपूर्ति की गई मात्रा	प्रमाणक सामग्री - मात्रा	प्रमाणक सामग्री - दिनांक	निरीक्षण रिपोर्ट की मात्रा	अन्य प्रमाणपत्र की मात्रा	[illegible]	[illegible]	प्रगति में आपूर्ति की मात्रा	आपूर्ति आदेश एवं तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	मेसर्स [illegible] स्टील [illegible], [illegible], [illegible]	40.00 [illegible] [illegible]	3796.00 [illegible]	3796.00 मीटर	17-10-83	3796.00 मीटर	शून्य	—	—	शून्य	[illegible] 1503/[illegible] 27-8-82	[illegible] 1503/[illegible] [illegible]
2.	मेसर्स [illegible] स्टील	15.00 [illegible]									[illegible]	शून्य
	[illegible] - 04	[illegible]								[illegible]		
3.	मेसर्स [illegible] एण्ड [illegible] [illegible], हरियाणा	[illegible] 1400.00 [illegible]	200.00 [illegible]	200.00 [illegible]	14-3-83	200.00 [illegible]	शून्य	—	—	शून्य	[illegible]	आपूर्ति [illegible] SKI [illegible]
4.	मेसर्स [illegible] प्लास्टिक [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] मीटर						1097.38 मीटर	[illegible]	[illegible]
5.	मेसर्स [illegible] प्लास्टिक [illegible]	[illegible]	3000.00 मीटर	3020.00 मीटर	15-5-83	मीटर	[illegible]	—	शून्य		1603/[illegible] [illegible] 1400 [illegible] 9-8-82	[illegible] 31/70

मुख्य अभियंता(उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-भ0उ0वि0/ 290 315, पटना, दिनांक- 15 फरवरी, 2012

प्रेषक,

रमेश कुमार,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर/हाजीपुर/सीतामढ़ी/मोतिहारी/बेतिया/सीवान एवं गोपालगंज ।

विषय:- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के आपत्ति कंडिका-5.1(वर्ष 1984-85)के संबंध मे ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सी0ए0जी0 के आपत्ति कंडिका- 5.1 वर्ष 1984-85 की छाया प्रति संलग्न करते हुये कहना है कि इस संबंध में पूर्ण अद्यतन विवरणी अधोहस्ताक्षरी को आज ही फैक्स द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही बतलाया जाय कि आज के तारीख में उक्त सामग्री उपयोग करने लायक है या नहीं? दिनांक-17.02.12 को 2.00 बजे अप0 में विधान सभा में लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाय ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,
15/02/12
(रमेश कुमार)
मुख्य अभियंता (उत्तर)

ज्ञापांक -290 पटना, दिनांक- 15 फरवरी, 2012

प्रतिलिपि:-उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को लोक लेखा समिति की बैठक दिनांक-14.02.12 को समीक्षा के क्रम में लिये गये निर्णय के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.2.12
मुख्य अभियंता (उत्तर)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर ।
=======

पत्रांक:- 287 अनु०   हाजीपुर, दिनांक:- 17-02-11

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
उत्तर उपभाग, बिहार, पटना ।

विषय:- भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा के वर्ष-84-85 के कंडिका 5-1 के अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि पाईप एवं पंखों की आपूर्ति श्री बलिन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता द्वारा की गई थी, कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई थी इसकी जानकारी से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन बलिन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा श्री परमानंद चौधरी, कनीय अभियंता को दिये गये प्रभार रिपोर्ट एवं श्री परमानंद चौधरी द्वारा श्री विनय कुमार सिंह, कनीय अभियंता को दिये गये प्रभार से अवशेष बचे हुए मात्रा का ही पता चलता है, जो निम्नवत है:-

(1) पोलीथीन पाईप 90 एम.एम.डायग-   12210.50मीटर्स
(2) पोलीथीन पाईप 110 एम.डायग-   4456 मीटर्स

अनु०:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/ 17/2/11
कार्यपालक अभियंता,
वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर

Charge report of P.W.D. Building - Head Qr Section No. 1, [illegible]
Between Sri P. N. [illegible] J.E. and Sri R.P. Singh J.E.

Site A/c of Stock Account

S.N.	Name of materials	Qty. as per A/c	Qty. Handed over	Qty. Taken over	Remarks by Relieved officer	Remarks by Relieving officer
1	15mm (1/2") dia G.I. pipe	[illegible] mts	[illegible] mts	5235.54 mts	Lying at [illegible]	
2	Cool Home Ceiling fan	25 Nos	25 Nos	25 Nos	Lying at official [illegible]	
3	L- [illegible] - 9" long	6 Nos.	6 Nos.	6 Nos	Lying at official godown	
4	Sonu Ceiling fan	11 Nos. 1/5	11 Nos 1/5	11 Nos 4/5	-Do-	
5	Polythene pipe - 90mm dia	[illegible] metre	[illegible] mts	14,210.5 mts	Lying at [illegible] godown	
6	Polythene pipe - 110mm dia	4456 metre	4456 metre	4,456 [illegible]	-Do-	

[illegible signature]
5.9.90.
Relieved officer

[illegible signature] 5/9/90
Relieving officer

Charge Report of P.W.D. Building Health Sub Division ... between Sri Binoy Kumar Roy ... and ...

Site A/C of Stock A/C

Sl No	Name of materials	Qty as per A/C	Qty Handed over	Qty Taken over	Remarks by Retired officer	Remarks by Relieving officer
1.	polythin pipe — 90 mm dia —	12,210.50 mtrs	12,210.50 mtrs		1270.50 mtrs badly damaged in small pieces	
2.	polythin pipe — 110 mm dia —	4456.40 mtrs	4456.40 mtrs		416 mtrs badly damaged in small pieces	
3.	R.S. Joist —	0.670 M/t	0.670 M/t			
4.	H.R. Sheet —	1.090 M/t	1.090 M/t			
5.	C.I. ridge —	56 mtrs	56 mtrs			
6.	Aluminium paint	38 litres	38 litres			
7.	16 mm dia Tor bars	1.452 M/t	1.452 M/t			
8.	20 mm dia plain	0.151 M/t	0.151 M/t			

[signature] 13/05/07
Retired officer

[signature] 13/5/07
Relieving officer

प्रमंडल सुज० के अन्तर्गत भंडार में पॉलिथीन पाईप, जी आई पाईप, छत परवा लोहा बी.टैं.स. का प्रतिवेदन।

क्र०सं०	सामग्रियों का नाम	मात्रा	15 mm dia जी० आई० पाईप	20 mm dia जी० आई० पाईप	25 mm dia जी० आई० पाईप	80 mm dia	110 mm dia	160 mm dia
1	2	3	4	5	6	7		
1	पॉलिथीन पाईप	9839 NO.	—	—	—	5586 NO.	3910 NO	343 NO.
2	जी० आई० पाईप	8839 No	[illegible]	[illegible] NO	908 NO.	—	—	—
3.	छत परवा	—		—	—	—	—	—
4.	लोहा बी० टैंस	—	—	—	—	—	—	—
		As Reported by Sub-divisional officer.						

Closure Report of Polythin Pipes

S.N.	Particulars	Qty as per office Record	Qty Handed over	Qty Taken over	Remarks
1.	Polythin pipes 110 mm dia	99035 mtr	15000 mtr	15000 mtr	All pipes [illegible] [illegible] with [illegible]
2.	Polythin pipes 90 mm dia	35925 mtr	21000 mtr	21000 mtr	All pipes [illegible] [illegible]

Dinesh
25-6-2007
(Shri Dinesh [illegible])
J.E.
[illegible]

[signature]
25/6/2007
(Shri [illegible])
J.E.
[illegible]

Statement – B

Statement in respect of H.D.P.E pipes –

Supdt. Engr. Supply orders No. & date	Quantity ordered for (in metres)			Quantity received with date/month and value (in Mts.)					Quantity utilised upto 31.3.85 (in Mts)			Closing balance as on 31.3.85 – in Mts			
	90 mm	110 mm	Total	90 mm	110 mm	Total	Month of receipt	Total value Rs.	90 mm	110 mm	Total	90 mm	110 mm	Total	Total value Rs.
1409 dt. 9.8.82 1604 dt. 15.9.82 1638 dt. 23.9.82 29 dt. 5.1.83	NOT AVAILABLE			25,225 Mts	22,035 Mts	47,260 Mts	8/82 3/83	9,16,676= 11,15,832=00				25,225 Mts	22,035 Mts	47,260 Mts	9,16,676= 11,15,832=
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

पत्रांक-भवन/बजट-लोक लेखा समिति-03/06-07......8634 (ब)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

श्री हरेराम मुखिया,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक- 30/10/12

विषय- लोक लेखा समिति की उप समिति (3) की विभागीय बैठक के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक, इस विभाग के सी. ए. जी. के प्रतिवेदन (सिविल एवं राजस्व प्राप्ति) की लंबित कंडिका-आपत्तियों पर विमर्श हेतु दिनांक-02.11.2012 को लोक लेखा समिति की उप समिति (3) की प्रस्तावित बैठक हेतु संबंधित कंडिका आपत्तियों पर कुल 15 (पन्द्रह) प्रतियों में अद्यतन प्रतिवेदन तैयार कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु०-यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

(सुशील कुमार)
सरकार के उप सचिव।

पत्रांकः 157 अन्य /

प्रेषक,

सुनील चौधरी
कार्यपालक अभियन्ता,
संरचना प्रमण्डल संख्या–2,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

सेवा में,

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः 14/2/12 /

विषयः– लेखा परीक्षा की कंडिका–4.5 (1998–99) के लिए पटना उच्च न्यायालय के वर्ग–2 कर्मियों के लिए अदालतगंज, पटना में 17 खण्डों में 'सी' टाईप फ्लैट निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 14.02.2012 को आहूत समीक्षात्मक बैठक के क्रम में सूचित करना है कि विषयांकित निर्माण कार्य की लेखा परीक्षा के संबंध में निम्नांकित तथ्य उल्लेखनीय हैः–

1. लेखा परीक्षा की आपत्ति के अनुपालन के क्रम में संवेदक की जमानत राशि से 1430685 को काटकर समायोजित कर लिया गया है।
2. 17 खण्डों में प्रति खण्ड 6 फ्लैटों के लिए कुल 102 फ्लैटों के निर्माण एवं परिसर विकास तथा समतलीकरण इत्यादि कार्य के दौरान बिजली एवं सफाई सहित कुल 42 नये मदों के लिए संवेदक द्वारा कार्य कराया गया। इन मदों के लिए बिहार अनुसूचित दर एवं सी0पी0डब्लू0डी0, कलकत्ता के दर के आधार पर 41.89 लाख रूपये की स्वीकृति के उपरांत कार्य हित में भुगतान किया गया। वृहत आकार की योजना होने के कारण कुछ नये मदों का समावेश अपरिहार्य था एवं सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत एवं स्वीकृति के पश्चात ही इनका भुगतान किया गया है।
3. योजना के विभिन्न अवयवों का समावेश कर इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति 3.85 करोड़ रूपये के लिए सरकार के अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 2014(भ) दिनांक 28.03.2000 के द्वारा दी गई। योजना पर कुल व्यय 3.74 करोड़ है जो पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है। 17 खण्डों के 102 फ्लैटों का निर्माण पूर्ण कर उच्च न्यायालय, पटना के प्राधिकार को सौंप दिया गया है एवं इनका उपयोग किया जा रहा है।
4. विभागीय पत्रांक 7550(भ) दिनांक 08.09.2008 द्वारा इस कंडिका का उत्तर उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय(लोक लेखा समिति कोषांग), पटना को उपलब्ध कराया जा चुका है।
5. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कंडिका विलोपित की जा सकती है।

अनु0:– आपत्ति का सारांश एवं अनुपालन की प्रति।

विश्वास भाजन

(हस्ताक्षर) 14/2/12

(सुनील चौधरी)
कार्यपालक अभियन्ता,
संरचना प्रमण्डल संख्या–2,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग ।

पत्र संख्या:- भवन/निग-1-253/99- 2817(न) पटना, दिनांक:- 4/6/2001

प्रेषक,

श्री र0 बी0 प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, पटना ।

सेवा में,

महालेखाकार,
अंकेक्षण-II, बिहार, रांची ।

विषय:- श्री रामाज्ञ शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, भवन प्रशाखा देवघर/दुमका द्वारा लिए गये अग्रिम के विरुद्ध असमायोजित राशि की वसूली के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-103/1999-2000 के प्रसंग में कहना है कि श्री रामाज्ञ शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, भवन प्रशाखा देवघर/दुमका द्वारा लिए गये अग्रिम के विरुद्ध असमायोजित राशि-30,71,093/-। तीस लाख इकहत्तर हजार तेरानबे। रुपये समायोजित कर लिया गया है ।

अतः अनुरोध है कि अंकेक्षण में प्रश्न करके गये सम्बित राशि के समायोजन का सत्यापन कर लिया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
04/06/01
। र0 बी0 प्रसाद ।
अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, पटना ।
ह0/-
2/6

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, पटना भवन प्रमण्डल पटना।

पत्रांक:- 1741 अनु० दिनांक:- 9-4-011

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
पटना भवन प्रमण्डल
पटना।

सेवा में,

सरकार के सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना।

विषय:- लोक लेखा समिति की उपसमिति 13 । के अंकेक्षण प्रतिवेदन के संदर्भ में।

प्रसंग:- भवदीय के पत्रांक 2187 भ० दिनांक 15.3.2011

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में अंकित वर्ष 99 - 2000 कंडिका 4.2 में कार्यरत श्री ~~सम्मुख~~ रामानुज शर्मा भूतपूर्व कनीय अभियन्ता द्वारा लिया गया बाँकीपुर भवन अनुमंडल संख्या 1 एस० पी० ओ० के तहत 30.71 लाख रुपये अस्थाई अग्रिम राशि का दुर्विनियोजन के संदर्भ में है। इस संदर्भ में कहना है की श्री शर्मा द्वारा लिया गया 30.71 लाख अस्थाई अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है

उल्लेखनीय है की विभागीय पत्रांक:- भवन निग 1 - 233/99 - ~~287~~ 2817 भ० दिनांक 4.6.2001 द्वारा महालेखाकार अंकेक्षण - 11, बिहार राँची को सूचित किया गया है, की श्री शर्मा द्वारा लिए गये अग्रिम के विरूद्ध असमायोजित राशि 30.71 लाख रुपये समायोजन कर लिया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाती है।

सूचनार्थ समर्पित।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 9/4/11

कार्यपालक अभियन्ता
पटना भवन प्रमण्डल पटना।

(हस्ताक्षर) 9/4/11

पत्रांक-भवन/बजट-52-लोक लेखा समिति-08/12-13....7360 (प)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अभय राज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

पटना भवन प्रमंडल, पटना।

पटना, दिनांक- 13.9.12

विषय- समायोजित राशि ₹ 30.71 लाख की समायोजन से संबंधित प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सी. ए. जी. की वर्ष 1999-2000 की लंबित कंडिका 4.2 पर उपलब्ध कराये गये कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में दिनांक-12.09.12 को वित्त विभाग में विमर्श हुआ।

प्रस्तुत कंडिका एक कनीय अभियंता द्वारा ₹ 30.71 लाख रूपये का दुर्विनियोग से संबंधित है। इस संदर्भ में अपने पत्र संख्या-1741 अनु. दिनांक-09.04.11 द्वारा यह सूचित किया गया है कि संबंधित भूतपूर्व कनीय अभियंता श्री रामानुज शर्मा से राशि का समायोजन कर लिया गया है। वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में राशि का समायोजन किस रूप में (अर्थात चालान/बैंक ड्राफ्ट/चेक) किया गया है। तत्संबंधित पत्र की आवश्यकता है।

अतएव उक्त पत्र की प्रति हाथों-हाथ दिनांक-14.09.12 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में आपसे दूरभाष के माध्यम से उप सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है।

विश्वासभाजन,

13/9/12

(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 7360 (प)

दिनांक- 13.9.12

प्रतिलिपिः-मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/12

सरकार के संयुक्त सचिव।

13-9-12

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पटना भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना

पत्रांक :- 4389 अ०उ० दिनांक :- 17.09.12

प्रेषक :

रवीन्द्र प्रसाद,
कार्यपालक अभियंता
पटना भवन प्रमंडल, पटना।

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : समायोजन राशि ₹30.71 लाख की समायोजन से संबंधित प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : भवदीय का पत्रांक 7360 (भ) दिनांक 13/09/12

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि भूतपूर्व कनीय अभियंता श्री रामानुज शर्मा से राशि ₹30.71 लाख का समायोजन मासिक लेखा के माध्यम से जनवरी 2001 में कर ली गई है। साक्ष्य हेतु बाँकीपुर भवन अवर प्रमंडल, पटना के कार्यालय कैशबुक की छाया प्रति संलग्न की जाती है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/9/12

कार्यपालक अभियंता
पटना भवन प्रमंडल, पटना

फ़ॉ० टी० आर० फ़ार्म 1 (देखें अध्याय 6) कार्यालय की रोकड़ बही

तारीख	फाइल अंशत: या प्राप्त सं० 1 व प्रति	किससे प्राप्त आदि	रकम नकद	प्राप्ति का वर्गीकरण
1	2	3	4	5
		B.F	3268040=24	
[illegible]		Received from Sri Sanjay Kumar on		
		a/c of Royalty vide vr. 399.	50=00	
1/2000		Received from Sri Mohan Sow On A/c		
		of Royalty vide vr. 400.	50=00	
11/2000		Received from Sri Mohan Sow On A/c of Royalty		
		vide vr. no - 401	50=00	
11/2000		Received from Sri Mohan Sow On A/c of		
		Royalty vide vr. no. 402	50=00	
1/2000		Tran [illegible] Rs 3071093/- (Rs Thirty Lacs Seventy		
		One Thousand ninety three [illegible]		
		J.E. is now reduced to Rs. 1298636=43		
		(Rs Twelve Lacs ninety eight thousand six hundred		
		thirty six and paise forty three) only by the [illegible]		
		payment of vr. from 1 to 402 amounting to		
		Rs. 1 781456=57 (Rs Seventeen Lacs Seventy		
		two [illegible] four hundred fifty six & paise		
		fifty seven).		
[illegible]/11/2000		Received from Sri [illegible] on A/c of Royalty		
		vide vr. no. 1 to 402 amounting to Rs [illegible]		
		Six hundred ninety [illegible]		
		CO—	3268240=24	
[illegible]/11/2000				

माह November 2000

भुगतान की तारीख	वाउचर संख्या	किसे भुगतान किया गया	नकद	बैंक की संख्या (चेक-बुक की संख्या सहित)	रकम	खर्च का वर्गीकरण
6	7	8	9	10	11	12
		B.F	1755208=57			
21/11/2000	399	Pd through do to Sri Sanjay Kumar vide				
		MB 9069 B Pg-99. By Roy — 50=00 Cash — 4262=00	4312=00			
21/11/2000	400	Pd through do to Sri Mohan Sow vide				
		MB 9069 B Page 99. By Roy — 50=00 Cash — 4262=00	4312=00			
21/11/2000	401	Pd through do to Sri Mohan Sow				
		vide 9069 B Pg 99. By Roy — 50=00 Cash — 4262=00	4312=00			
21/11/2000	402	Pd through do to Sri Mohan Sow				
		vide MB 9069 B Pg-100 By Roy — 50=00 Cash — 4262=00	4312=00			
28/11/2000	403	Cash deposited to S.B.I main Branch				
		Being [illegible] GPF [illegible] for				
		Sept & Oct 2000.	10958=00			GPF Deposit NE (8005)
28/11/2000	404	Cash deposited to S.B.I main Branch				
		Being on A/c of LIC [illegible] for				
		Sept & Oct 2000.	33=00			E.T.C (8011)
28/11/2000	405	Cash deposited to S.B.I main Branch				
		[illegible] against [illegible]				
		receipt 3782.	5000=00			
		CO — 1788744=57				

कार्यालय की रोकड़ बही (देखें अध्याय ...)

माह December 2000

तारीख	वाउचर संख्या या कारण सं० ... प्राप्ति	किससे प्राप्त आदि	रकम नकद	प्राप्तियों का वर्गीकरण
1	2	3	4	5
01/12/2000		B.F	1601848=17	
7/12/2000		Tem advance Rs. 1298636=43 (Rs. Twelve lacs ninety eight thousand six hundred thirty six and paise forty three) with Sri R.N. Sharma. J.E. ... reduced to Rs. 89465=65 (Rs. Eighty nine thousand four hundred sixty five & paise sixty five) only by further payment of Rs. 1209170=78 (Rs. Twelve lacs nine thousand one hundred seventy & paise seventy eight) vide voucher no. 37 37.		
12/2000		Received from Sri R.N. Sharma, J.E. ... on the of Royalty — Rs. 3397=00. Received from Executive Engineer, Patna Building division, Patna	90427=00	
1/12/2000		C.O-	1692270=17	

भुगतान की तारीख	वाउचर संख्या	किसे भुगतान किया गया	नकद	चेक की संख्या (चेक-बुक की संख्या सहित)	रकम	खर्च का वर्गीकरण
6	7	8	9	10	11	12
		13. F.	1302705=78			
30/12/2000	370	for through doto Bikhu vide MB 9140 P-28	1764=00			
30/12/2000	371	for through doto Bikhu vide MB 9140 P-27	656=00			
30/12/2000	372	for through doto Bikhu lond vide MB 9140 P-27	1991=00			
30/12/2000		Tem Adv. with Sri R.C. Das, J.E. Rs. 13564/- (Rs. Thirteen thousand five hundred sixty four) is now raised to Rs. 79395/- (Rs. Seventy nine thousand three hundred ninety five) only by further advance to Rs. 65831/- (Rs. Sixty five thousand eight hundred thirty one) vide HR no-21 of 2000-01.				
30/12/2000		Tem. Adv. with Sri R.B. Prasad J.E. Rs. 146442/- (Rs. One lac forty six thousand four hundred forty two) is now raised to				
		C.O-	1307126.78			

2		3	4	
30-1-2001		B.F.	501960=39	
30-1-2001		Tem Adv. Rs. 89465=65 (Rs. Eighty nine thousand four hundred sixty five and paise sixty five) with Sri R.N. Sharma J.E. is now reduced to Rs. nil (Rupees nil) after further payment of voucher no. 35 to 36 amounting to Rs. 89465=65 (Rupees Eighty nine thousand four hundred sixty five and paise sixty five).		
30-1-2001		Total Rs.	501960=39	
		Rs. (Rupees Five Lacs One thousand nine hundred sixty and paise thirty nine) only.		

January 2001

29-1-2001		B.F.	216334=65	10		12
30-1-2001	35	Pd. through d.t. to Sri Sunil vide MB. no. 9063 Pg. 13	4942=00			
30-1-2001	36	Pd. through do to Sri Sunil vide MB. 9063 Pg. 13 (Ch. Magadh Mahila College)	3952=00			
30-1-2001		Total Rs.	225228=65			
30-1-2001		Closing balance	276631=74			
30-1-2001		Grand Total Rs.	501960=39			
		Details of Closing balance				
		1. Adv. with Sri R.B. Sahai		118=45		
		2. " Sri R.D. Sharma		173=82		
		3. " Govt. Architect		850=00		
		4. " U.P. Singh J.E.		2=47		
		5. " Sri R.C. Das J.E.		84395=00		
		6. " Sri R.B. Prasad J.E.		171033=00		
		7. " Sri R.N. Sharma J.E.		Nil		
		8. Cash in Chest		20709=00		
30-1-2001		Total Rs.	276681=74			

Certified that I have actually counted the cash in chest and found Rs. 20709=00 (Rs. twenty thousand seven hundred nine) only. [illegible]

30/1/2001

मुख्य अभियंता(उत्तर) का का0..
<u>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।</u>

पत्रांक-भ0उ0वि0/यो0(लो0ले0)-31/2010(पार्ट)- 875अ0 पटना, दिनांक- 07 मई, 2012

प्रेषक,

रमेश कुमार,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- भारत के नियंत्रक महालेखारीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 की आपत्ति कंडिका- 4.3 के संबंध में प्रतिवेदन ।

महाशय,

भारत के नियंत्रक महालेखारीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 की आपत्ति कंडिका- 4.3 के संबंध में विभिन्न भवन प्रमंडलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में समेकित प्रतिवेदन तैयार कर संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(रमेश कुमार)
मुख्य अभियंता (उत्तर)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण आपत्ति कंडिका 4.3		
कम सं0	प्रमंडल का नाम	
1	2	3
1	भवन प्रमंडल, किशनगंज	(शून्य) इस प्रमंडल में इस तरह की योजना स्वीकृत नहीं थी ।
2	भवन प्रमंडल, पूर्णिया	प्रतिवेदनानुसार वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय व्यवसायिक पद्धति के आधुनिकीकरण के योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कोई योजना नहीं है ।
3	भवन प्रमंडल, गोपालगंज	प्रतिवेदनानुसार आई0टी0आई0 किराया के मकान में हथुआ में चल रहा है, अतएव प्रतिवेदन शून्य है ।
4	भवन प्रमंडल, मोतिहारी	प्रतिवेदनानुसार (i) मोतिहारी स्थित आई0टी0आई0 में महिला वर्कशॉप का निर्माण वर्ष 99-2000 में आवंटित राशि रूपये 8,59,500.00 व्यय रूपये 8,59,500.00कार्यरत एवं उपयोगित । (ii) मोतिहारी स्थित आई0टी0आई0 में महिला आई0टी0आई0 (प्रशासनिक भवन का निर्माण) आवंटित राशि रूपये 10,43,500.00 व्यय रूपये10,43,500.00कार्यरत एवं उपयोगित ।
5	भवन प्रमंडल, छपरा	प्रतिवेदनानुसार, छपरा में आई टी0आई भवन वर्ष 1980 के पूर्व का है ।वर्ष 1990-91 अथवा उसके बाद कोई आई0टी0आई0 की योजना नहीं है ।
6	भवन प्रमंडल, शिवहर	प्रतिवेदनानुसार शिवहर में आई0टी0आई0 का निर्माण नहीं हुआ है ।
7	भवन प्रमंडल, कटिहार	प्रतिवेदित किया गया है कि प्रमंडल को 99-2000. में कर्मशाला निर्माण हेतु बैक ड्राफ्ट सं0- 539143 दिनांक- 31.03.99द्वारा रूपये -3,11,500.00 का आवंटन प्राप्त हुआ । व्यय वर्ष 99-2000 में रूपये 2,96,970.00 वर्ष 2000-2001 में रूपये 14,530.00 । कार्य पूर्ण तथा उपयोग में लाया जा रहा है ।
8	भवन प्रमंडल, सुपौल	इस प्रमंडल का सृजन वर्ष 2000 में हुआ है तथा इस प्रमंडल द्वारा आई0टी0आई0 भवन का निर्माण नहीं किया गया है । परन्तु भवन प्रमंडल, सहरसा के प्रतिवेदन के अनुसार भवन प्रमंडल, सुपौल में एक कर्मशाला भवन 1997-98 में बना प्राप्त आवंटन 90,000.00 व्यय 90,000.00 । आई0आई0टी0 भवन, सुपौल रूपये 35,700.00 वर्ष 1990-91 में बना। व्यय 35,700.00 जो कार्यरत है ।
9	भवन प्रमंडल, खगड़िया	प्रतिवेदन के अनुसार आज तक कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण नहीं हो रहा है ।
10	भवन प्रमंडल, सहरसा	प्रतिवेदित किया गया है कि इस प्रमंडल में दो कर्मशाला भवन बना । पर एक कर्मशाला पर टरस नहीं लगा ।राशि घट गयी थी । भवन का हस्तान्तरण नहीं हुआ । वर्ष 97-98 में प्राप्त आवंटन 4,50,000.00ए व्यय 4,39,00.00 अवशेष 11,000.00

11	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	प्रतिवेदन के अनुसार प्रशासनिक भवन, कर्मशाला, पहुँच पथ, जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन तथा विद्युतिकरण का कार्य पूर्ण । प्राप्त आवंटन रूपये 28,45,900.00 व्यय 28,45,900.00 कार्य पूर्ण कर भवन हस्तान्तरित कर दिया गया है ।
12	वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर	आई0टी0आई0 की योजना स्वीकृत नहीं थी ।
13	भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी	प्रतिवेदन के अनुसार 99-2000 के बीच दो कर्मशाला (न्यू ट्रेड भवन) का निर्माण किया गया जिसे जुलाई 2000 हस्तान्तरित कर दिया गया तथा कार्यरत् है ।
14	भवन प्रमंडल, बेतिया	प्रतिवेदन के अनुसार बेतिया स्थित आई0टी0आई0 परिसर में स्थित एनेक्सी भवन निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 96 से 2000 के बीच रूपये 9,33,900.00 का आवंटन प्राप्त हुआ । उक्त राशि से भवन का कार्य पूर्ण कराया गया तथा भवन हस्तान्तरण हेतु कार्यपालक अभियंता के पत्रांक- 951 दिनांक- 13.11.2000 द्वारा प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेतिया से अनुरोध किया गया लेकिन भवन हस्तान्तरण नहीं हो सका है । वर्तमान में खिड़की आदि क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा 4.00लाख रूपये व्यय की आवश्यकता बतलायी गयी है ।
15	भवन प्रमंडल, बेगुसराय	प्रतिवेदन के अनुसार बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत सिर्फ कर्मशाला भवन का निर्माण वर्ष 1999 में पूर्ण कराया गया था जिसके निर्माण में कुल रूपये12.71लाख व्यय किया गया ।
16	भवन प्रमंडल, दरभंगा	प्रतिवेदन के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामनगर, दरभंगा में महिला संस्थान की स्थापना हेतु वर्ष 1996-97 में रूपये 6,81,650.00 का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसका उपयोग किया जा चुका है तथा भवन हस्तान्तरित एवं कार्यरत् है ।
17	भवन प्रमंडल, सीवान	प्रतिवेदनानुसार आई0टी0आई0 की योजना पूर्व में स्वीकृत नहीं है ।
18	भवन प्रमंडल, अररिया	प्रतिवेदनानुसार आई0टी0आई0 की योजना पूर्व में स्वीकृत नहीं है ।
19	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	प्रतिवेदनानुसार आई0टी0आई0 की योजना पूर्व में स्वीकृत नहीं है ।
20	भवन प्रमंडल, मधेपुरा	प्रतिवेदनानुसार आई0टी0आई0 की योजना पूर्व में स्वीकृत नहीं है ।
21	भवन प्रमंडल, मधुबनी	प्रतिवेदनानुसार आई0टी0आई0 की योजना पूर्व में स्वीकृत नहीं है ।

7/05/11
C.E.(H) R.C.D. PATNA

पत्रांक-भवन/बजट-52-लोक लेखा समिति-08/12-13........... 7359 (6)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अभय राज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,

उत्तर बिहार उपभाग,

भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना, दिनांक- 13.9.12

विषय- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 की लंबित कंडिका 4.3 का अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त कंडिका के संदर्भ में पत्र संख्या-875 अनु. दिनांक-07.05.12 द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर दिनांक-12.09.12 को वित्त विभाग में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह सुझाव दिया गया है कि ₹ 1.21 करोड़ का निष्फल व्यय के संदर्भ में जो सूचना दी गई है वह संतोषप्रद नहीं है। इस संदर्भ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 21 भवनों एवं कर्मशाला शेडों के निर्माण के लिए निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति संलग्न की जाए तथा स्वीकृत्यादेश के आलोक में जिन प्रमंडलों को राशि आवंटित की गई है उसके विरूद्ध व्यय तथा 21 भवनों एवं कर्मशाला शेडों की अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है।

अतएव वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत कंडिका के संदर्भ में तत्संबंधित सूचना दिनांक-14.09.12 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। इस संबंध में उप सचिव महोदय द्वारा दूरभाष पर तत्संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

विश्वासभाजन,

(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव।

13-9-12

पत्रांक-भवन/बजट-34-लोक लेखा समिति-03/06-07.......... 4671 (म)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

अभय राज,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 13.6.12

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-2007 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लंबित कंडिका 4.1.6 पर लोक लेखा समिति द्वारा दी गई अनुशंसा के आलोक में कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2006-2007 की कंडिका 4.1.6 के अनुसार मजदूरी के मद में ₹ 14.44 लाख का कपटपूर्ण भुगतान एवं मिट्टी के कम खपत के कारण तीन करोड़ रूपये का स्तरहीन कार्य का निष्पादन हुआ।

इस संदर्भ में दिनांक-17.02.12 को उक्त कंडिका पर समिति द्वारा विमर्श के दौरान हैंण्ड रिसिट पर सात व्यक्तियों को ₹ 69.00 लाख रूपये किए गए भुगतान के लिए संलिप्त कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता को चिन्हित करने तथा घटना से संबंधित माईनिंग ऑफिसर्स से प्राप्त रिसिट की प्रति भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

उक्त आदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज ने पत्र संख्या-667 अनु० दिनांक-02.06.12 द्वारा तत्संबंधित माईनिंग ऑफिसर्स से प्राप्त रिसिट की छायाप्रति संलिप्त कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की सूची, नियुक्ति कार्य से संबंधित प्रतिवेदन ~~एवं प्राप्तियुक्त~~ की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है जिसे समीक्षा हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

12/6/12

(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव।

मुख्य अभियंता(उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-भ0उ0वि0/यो0(लोक लेखा)31/2010(IV)- 1048 उ0 पटना, दिनांक-07 जून, 2012

प्रेषक,

रमेश कुमार,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2006-07 नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लंबित कंडिका-4.01.06 पर लोक लेखा समिति द्वारा दी गयी अनुशंसा के आलोक में कार्यान्वियन प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंगः- कार्यपालक अभियंता,भवन प्रमंडल,किशनगंज का ज्ञापांक-567अनु0दिनांक-02.06.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि इस योजना में लगभग 69.00लाख का मिट्टी भरायी का कार्य किया गया है जिसका भुगतान हस्त रसीद पर किया गया है । हस्त रसीद पर भुगतान करनेवाले पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया है, जिनका नाम निम्न प्रकार है :-

कमांक	कार्यपालक अभियंता का नाम	सहायक अभियंता का नाम	कनीय अभियंता का नाम	लेखा पदाधिकारी का नाम	मापीपुस्त संख्या
1	श्री छत्रपति रामशंकर मिश्र(सेवानिवृत्त)	रामानन्द यादव(मृत)	सुदर्शन चन्द्र गुप्ता(सेवानिवृत्त)	विरूकुमार	103
2	वही	वही	वही	वही	110
3	श्री छत्रपति रामशंकर मिश्र(सेवानिवृत्त)-सैय्यद मोहम्मद अब्दूल्ला(मृत)	रामानन्द यादव(मृत) हरिशंकर प्रसाद	सुदर्शन चन्द्र गुप्ता(सेवानिवृत्त)	विरूकुमार	111
4	सैय्यद मोहम्मद अब्दूल्ला(मृत)	हरिशंकर प्रसाद	सुदर्शन चन्द्र गुप्ता(सेवानिवृत्त)	जितेन्द्र प्रसाद	140

इस प्रकार हस्त रसीद पर भुगतान से संबंधित एक कार्यपालक अभियंता श्री छत्रपति रामाशंकर मिश्रा, सेवा निवृत्त है।दूसरे कार्यपालक अभियंता हरिशंकर प्रसाद निलंबित है ।

संबंधित कनीय अभियंता श्री सुदर्शन चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त हो चुके है ।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

7.06.12

(रमेश कुमार)
मुख्य अभियंता (उत्तर)

पत्रांक .... / किशनगंज, दिनांक– ....

प्रेषक :– कार्यपालक अभियन्ता
भवन प्रमंडल, किशनगंज।

सेवा में,
उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2006–07 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लम्बित कंडिका 4.01.06 पर लोक लेखा समिति द्वारा दी गई अनुशंसा के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 3167 (म) दिनांक 20.04.12

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में आपके द्वारा माँगी गई प्रतिवेदन अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संलग्न कर समर्पित की जाती है।

अनु० 1) [illegible] प्रतिवेदन एवं [illegible] की छाया प्रति।
2) [illegible]
3) [illegible]
4) [illegible]

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता,
भवन प्रमंडल, किशनगंज।

ज्ञाप – 663 [illegible] दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया / मुख्य अभियंता (उत्तर) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं प्रतिवेदन की एक–एक प्रति के साथ समर्पित।

अनु० यथोक्त

कार्यपालक अभियन्ता,
भवन प्रमंडल, किशनगंज।

हवाई अड्डा निर्माण से सम्बन्धित मापी पुस्तिका संख्या एवं सम्बन्धित अधिकारी की सूची :—

MB No	कनीय अभियंता का नाम	सहायक अभियंता का नाम	कार्यपालक अभियंता का नाम	लेखा पदाधिकारी का नाम
MB No 103 (मिट्टी कार्य)	श्री सुदर्शन चन्द्र गुप्ता	श्री रामानन्द यादव	श्री कलापति रामाचन्द्र मिश्रा	श्री निर्मल कुमार
MB No 111 (मिट्टी कार्य)	वही	वही	वही	वही
MB No 140 (मिट्टी कार्य)	वही	श्री [illegible] प्रसाद	सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह	श्री जितेन्द्र प्रसाद
MB 168 (Jhama Metal and chips)	श्री कुमेश कुमार	वही	वही	श्री [illegible] प्रसाद
MB-227 W.B.M (Work) Metal	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	वही	श्री विजय कुमार भगत	वही
MB 228 (Collection of Metal)	वही	वही	श्री विजय कुमार भगत	वही
MB 230 (R.C. work Collection of stone chips)	वही	वही	श्री विजय कुमार भगत	वही
MB 169 Supply of Brick work from [illegible].03 to 31.3.03	सुरेश चन्द्र गुप्ता	वही	सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह	वही
MB 166 (from 29.03.03 to 30.03.03)	वही	वही	वही	वही
MB 167 [illegible]	वही	वही	वही	वही
MB 188 Consolidation of Metal (24.03.04 to 30.3.05)	कुमेश कुमार	वही	वही	वही
MB No 181 (Carriage of [illegible] 3.11.04 to 30.03.05)	देवेन्द्र कुमार सिंह	वही	वही	वही
MB No 110 (मिट्टी कार्य)	सुदर्शन चन्द्र गुप्ता	श्री रामानन्द यादव	श्री कलापति रामाचन्द्र मिश्रा	श्री निर्मल कुमार

continued to P. No 2

हवाई अड्डा, किशनगंज के निर्माण कार्य में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की सूची :-

कार्यपालक अभियंता

1. श्री छत्रपति रामाशंकर मिश्र – सेवा निवृत, किशनगंज से [illegible]2001
2. श्री सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह – मृत
3. श्री विजय कुमार भगत – वर्तमान में निलम्बित, मुख्यालय [illegible] अभियंता (निरूपण) पटना

सहायक अभियंता

1. श्री रामानन्द [illegible] – मृत
2. श्री हरिशंकर प्रसाद – वर्तमान में निलम्बित, मुख्यालय – भवन अंचल, दरभंगा।

कनीय अभियंता

1. श्री सुदर्शन चन्द्र गुप्ता – सेवा निवृत किशनगंज से 10/2001
2. श्री दुर्गेश कुमार – भवन प्रमंडल, गोपालगंज
3. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह – वर्तमान में निलम्बित, मुख्यालय मुख्य अभियंता (दक्षिण) भवन निर्माण विभाग [illegible]

पत्रांक-भवन/बजट-52-लोक लेखा समिति-04/12-13............ 5922 (भ)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 27.7.12

विषय- वित्तीय वर्ष 2007-08 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लंबित कंडिका 4.1.1 पर लोक लेखा समिति द्वारा दी गई अनुशंसा के आलोक में कार्यान्वयन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त कंडिका पर लोक लेखा समिति के अनुशंसा के आलोक में ससमय आवंटित राशि को भुगतान न कर किसी अन्य कार्य में राशि का विचलन करने के लिए मुख्य अभियंता (उत्तर) द्वारा तत्कालीन कार्यपालक अभियंता स्व० महादेव बैठा एवं लेखा अधिकारी श्री नारायण लाल दास को संयुक्त रूप से दोषी ठहराया गया है। बिना लेखा अधिकारी के सहमति से आवंटन का विचलन कार्यपालक अभियंता द्वारा करना संभव नहीं था।

अतएव लेखा अधिकारी के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-मुख्य अभियंता (उत्तर)के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति।

विश्वासभाजन,

(अभय राज)
सरकार के संयुक्त सचिव।

मुख्य अभियंता(उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-भ0उ0वि0/यो0(लो0ले0)-31/2010III- 1266 3/5 पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2012

प्रेषक,

रमेश कुमार,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2007-08नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लंबित कंडिका संख्या-4.1.1 पर लोक लेखा समिति द्वारा दी गई अनुशंसा के आलोक में दोषी मुख्य अभियंता को चिन्हित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक- 5334(भ) दिनांक- 09.07.2012 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि वांछित प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक- 1256 दिनांक- 10.07.2012 द्वारा उप सचिव, भवन निर्माण विभाग को भेजा जा चुका है, उसकी छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
12.7.12
(रमेश कुमार)
मुख्य अभियंता (उत्तर)

मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:-भ0उ0वि0/यो0(लो0लेखा0)-31/2010 (III) 12-56 दिनांक:-10/7/12

प्रेषक,

रमेश कुमार,
मुख्य अभियंता(उत्तर)।

~ 328 -

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- भारत के महालेखापरीक्षक का वर्ष 2007-08 का अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 4.1.1 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रसंग:- उप सचिव का पत्रांक 2924(भ) दिनांक 12.04.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कंडिका के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि दिनांक 17.10.84 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंन्दिरा- गांधी के पूर्णियां आगमन पर जिला प्रशासन ने भवन प्रमंडल, पूर्णियां को हैलीपैड के पहुँच पथ की मरम्मति, हैलीपैड का विस्तार, मंच का निर्माण, रंगभूमि मैदान की घेराबंदी करने का निर्देश दिनांक 11.10.1984/12.10.1984 को दिया। प्रमंडल के द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णियां के पत्रांक 405 दिनांक 14.10.1984 के आदेश के आलोक में दिनांक 16.10.1984 को अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी तथा कार्य की महत्ता के मदेद्नजर 17.10.1984 के पूर्व कार्य समाप्त करने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा रू0 9.7 लाख का प्राक्कलन दिनांक 13.10.1984 को अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ को तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया। अधीक्षण अभियंता ने रू0 9.151 लाख का प्राक्कलन मुख्य अभियंता को प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि हेतु समर्पित किया गया। मुख्य अभियंता के पत्रांक 1272 दिनांक 25.11.1985 के द्वारा वास्तविक कार्य के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित करने का निर्देश अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियां को दिया गया। पुनः प्रमंडल द्वारा 05.12.1985 को 9.71 लाख रूपये का प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता को समर्पित किया, जिसे अधीक्षण अभियंता ने अनुमोदित करते हुए मुख्य अभियंता को दि0 07.12.1985 को प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि प्राप्ति हेतु समर्पित किया गया। संबंधित संवेदक मेसर्स सतराम द्वारा भुगतान में विलम्ब के कारण दो 80 CPC नोटीस अगस्त, 88 एवं सितम्बर, 88 में भेजा। वाद में उन्होंने दिसम्बर, 88 में जिला न्यायालय, पूर्णियां में धन मुकदमा दायर कर दिया। संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 1066 दिनांक 20.10.1990 से उक्त कार्य हेतु रू0

5,46,260.00 (पाँच लाख छियालिस हजार दो सौ साठ रूपये)मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

दिनांक 17.10.1984 से लेकर 20.10.1990 तक निम्नांकित मुख्य अभियंता पदस्थापित थे:-

क्रमांकं	नाम	पदस्थापन अवधि
1	श्री सुब्बा राम, सेवानिवृत एवं मृत	05.06.1984 से 31.10.1985
2	श्री बी0एन0 बैकर, सेवानिवृत एवं मृत	10.01.1986 से 31.01.1987
3	श्री भुवनेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत एवं मृत	02.02.1987 से 31.10.1988
4	श्री जुगेश्वर सिन्हा, सेवानिवृत एवं मृत	29.01.1988 से 31.01.1989
5	श्री रमापति वर्मा, सेवानिवृत	03.02.1989 से 30.09.1989
6	श्री पी0के0 चटर्जी, सेवा निवृत एवं जिवित	30.09.1989 से 31.01.1991

उपरोक्त अवधि में ही प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि आवंटन में प्रक्रियात्मक विलंब हुआ है, जिसके लिए क्रमांक 01 एवं 06 तक पदस्थापित सेवानिवृत मुख्य अभियंता को दोषी माना जा सकता है।

विश्वासभाजन

(रमेश कुमार)
मुख्य अभियंता(उत्तर)।

पत्रांक-भवन/बजट-52-लोक लेखा समिति-04/12-13.............5905(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 26/7/12

विषय- वित्तीय वर्ष 2007-08 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लंबित कंडिका 4.1.1 पर लोक लेखा समिति द्वारा दी गई अनुशंसा के आलोक में कार्यान्वयन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लंबित कंडिका 4.1.1 पर दिनांक 14.06.12 को लोक लेखा समिति बिहार विधान सभा में निर्धारित बैठक में कार्यान्वियन प्रतिवेदन पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत दिए गए निदेश के आलोक में प्रस्तुत कंडिका के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं न्याय निर्णय के पश्चात् राशि उपलब्ध कराने के लिए हुई विलंब के लिए जाँच की गई। जाँचोपरांत मुख्य अभियंता (उत्तर) ने पत्र संख्या-1184 अनु. दिनांक 28.06.12 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उल्लेखित किया है कि विभागीय स्तर पर हुई विलंब प्रक्रियात्मक विलंब है तथा आवंटित राशि का विचलन करने के लिए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता स्व० महादेव बैठा एवं तत्कालीन लेखा अधिकारी श्री नारायण लाल दास संयुक्त रूप से दोषी है।

लेखा अधिकारी श्री नारायण लाल दास के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करने के लिए महालेखाकार कार्यालय से अनुरोध किया जा रहा है।

अतएव प्रस्तुत कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव।

महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 की कंडिका- 4.1.1

कंडिका- 4.1.1 में उठाये गये आपत्ति के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि विभागीय स्तर पर संवेदक द्वारा कराये गये कार्यो के भुगतान हेतु राशि आवंटित कर दी गयी थी जिसका विचलन तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णिया (स्व0 महादेव बैठा) द्वारा कर दिया गया था जिसकी जॉच विभागीय स्तर पर करायी गयी तथा जॉच में यह पाया गया कि राशि विचलन के लिए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता(स्व0 बैठा) एवं तत्कालीन लेखा पदाधिकारी संयुक्त रूप से दोषी है क्योंकि बिना लेखा पदाधिकारी के सहमति के आवंटन का विचलन करना कार्यपालक अभियंता के लिए संभव नहीं था । इसमें विभागीय स्तर पर हुई विलम्ब प्रक्रियात्मक विलम्ब है ।

29/06/12

संख्या लो०ले०स० -92/(2013 II.)/2012-13/138
No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date : 13.02.2013

सेवा में,

उप सचिव
बिहार विधान सभा,
पटना।

विषय :- **लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन सं0 498, 499, 500, 501 एवं 502 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण।**

प्रसंग :- आपका पत्र सं.- 2लो.ले.स.-20/13-86/वि.स., 2लो.ले.स.-22/13-85/वि.स. दिनांक 04.02.2013 एवं 2लो.ले.स.-21/13-92/वि.स., दिनांक 05.02.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं गृह विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ एवं सिविल) के विभिन्न वर्षों की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन सं. क्रमशः 498, 499, 500, 501 एवं 502 में आवश्यक सुधार तथा संपरीक्षण के पश्चात् मूल रूप में वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नकः- प्रासंगिक पत्र के अनुलग्नकों की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

13/02/13

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
बिहार, पटना

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
2013